



कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक 29-07-2015 की स्थगित बैठक
जो दिनांक 21-11-2015 को सम्पन्न हुई, का कार्य-वृत्त

पूर्वान्ह 11.00

स्थान: नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या: डी / १९०/सचिव (न.नि.)/ १५-१६

दिनांक : १९ -१२ -२०१५

सेवामें

श्री / श्रीमती / सुश्री.....

मा० पार्षद वार्ड सं०..... / मा०नाम निर्दिष्ट / मा० पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय / महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 29.07.15 को स्थगित हुई बैठक, जो दिनांक 21.11.15 को सम्पन्न हुई का कार्यवृत्त आपकी सेवा में
संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 75 तक।

(राम बली पाल)

सचिव

नगर निगम, कानपुर

प्रतिलिपि:

- 1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
- 2.अपर नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय को सूचनार्थ।
- 3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

नगर निगम, कानपुर

दिनांक-06-02-2016 दिन शनिवार को मध्यान्ह 12:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई
कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1-	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर/सभापति
2-	हाजी सुहेल अहमद	सदस्य/उपसभापति
3-	श्री आशुतोष त्रिपाठी	सदस्य
4-	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	सदस्य
5-	श्री नवीन पण्डित	सदस्य
6-	श्रीमती पूनम द्विवेदी	सदस्य
7-	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	सदस्य
8-	श्री कैलाश पाण्डेय	सदस्य
9-	हाजी मो० शमीम आजाद	सदस्य
10-	श्री रमापत झुनझुनवाला	सदस्य
11-	श्री जितेन्द्र सचान	सदस्य
12-	श्री राज किशोर यादव	सदस्य

13- श्री सुमित कुमार सरोज सदस्य

अधिकारीगण

1-	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा नगर आयुक्त	
2-	श्री विनोद कुमार गुप्ता अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'	
3-	श्री राकेश कुमार गुप्ता अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'	
4-	श्री अजय प्रताप सिंह मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	
5-	डॉ. पंकज श्रीवास्तव नगर स्वास्थ्य अधिकारी	
6-	श्री मनीष कुमार सिंह मुख्य अभियन्ता	
7-	श्री राकेश कुमार अस्थाना मुख्य अभियन्ता (वि./याँ.)	
8-	श्री जवाहरराम महाप्रबन्धक 'जलकल'	
9-	डॉ. ए.के.सिंह पशु चिकित्साधिकारी	

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये कार्यकारिणी समिति के नव निर्वाचित छ: सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुये कहा कि आप सभी के अनुभव एवं सुझावों से नगर की विकास योजनाओं को लाभ होगा। देश एवं प्रदेश के मंत्री मण्डल की तरह नगर निगम का यह भी लघु मंत्री मण्डल ही है। जिस प्रकार देश एवं प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं, उसी प्रकार हम सभी लोग मिलकर दलगत भावना से उठकर एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुय चर्चा करेंगे और तद्दुनसार निर्णय भी पारित होंगे। नगर निगम अधिकारियों से सवाल जवाब भी गरिमा के अनुकूल संसदीय मर्यादाओं के साथ किया जाये। इसी के साथ नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि कार्यसूची में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार क्रमशः चर्चा करते हुये तद्दुनसार निर्णय पारित किये जाये।

माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित (जोन-2)

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आंगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
1139	जोन-2 वार्ड 77 श्याम नगर के सी ब्लाक मे मकान नं0 734 से 853 तक एवं 892 से 784 तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	769578. 00	648463.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स राय इंटरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1140	जोन-2 वार्ड 37 परदेवनपुरवा मे सिद्धनाथ पार्क के पीछे क्षतिग्रस्त सड़को पर नाली एवं इंटरलाकिंग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	885283. 00	752490.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स राधे राधे कान्स्ट्रक्शन कंपनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1141	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत केडीए कालोनी मे ट्रान्सफार्मर से डॉ0 राम प्रकाश होम्योपैथिक के सामने होते हुये मकान नं0 ई 177 तक नाली एवं इंटरलाकिंग का कार्य।	नगर निगम निधि	616609. 00	524118.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स रामकिशोर	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1142	जोन-2 वार्ड 53 के अन्तर्गत देहलीसुजानपुर मे मकान नं0 ई 176,194,995,197,198,205,206,208 तक जल निकासी हेतु नाली एवं इंटरलाकिंग द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	936935. 00	796395.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स रामकिशोर	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई

माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित (जोन-2)

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आंगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
1143	जोन-2 वार्ड 10 के अन्तर्गत मेन सीवेज कैनाल चैनल 795 से चैनल 1050पी0 तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	1393502.00	1470145.00	5.50 प्रतिशत उच्च दर पर जस्टीफिकेशन से 0. 39 प्रतिशत निम्न	मेसर्स अखिलेश एसोसिएट	स्वीकृति प्रदान की गई
1144	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत पटेल नगर मे राजेन्द्र के मकान से ज्ञान सरोवर स्कूल होते हुये डब्लू पाठक के मकान तक इंटरलाकिंग द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	1143669.00	1132233.00	1.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स आर0 के0 द्विवेदी इ0 प्रा0	स्वीकृति प्रदान की गई
1145	जोन-2 वार्ड 37 परदेवनपुरवा मे एन0एच0-2 रोड से सिद्धनाथ पार्क होते हुये दुर्गा मंदिर गेट तक नाले का निर्माण	राज्य वित्त आयोग निधि	1492278.00	1671351.00	14.00 प्रतिशत उच्च दर पर जस्टीफिकेशन से 0.	मेसर्स मॉ मैहर ट्रेडर्स	स्वीकृति प्रदान की गई

	कार्य।				22 प्रतिशत निम्न		
1146	जोन-2 वार्ड 53 देहलीसुजानपुर मे 200फिट चौड़ी पीएसी रोड पर चैनेज 00मी0 से 175मी0 लम्बाई तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	1209607.00	1028174.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स गणेश एण्ड कंपनी	स्वीकृति प्रदान की गई
1147	जोन-2 वार्ड 53 देहलीसुजानपुर मे 200फिट चौड़ी पीएसी रोड पर चैनेज 175मी0 से 345मी0 लम्बाई तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग निधि	1296615.00	1102127.00	15.00 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स के0 एस0 टाइल्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1148	जोन-2 वार्ड 19 गौरया गाँव मे कन्हैया लाल के मकान से छेदीलाल के मकान होते हुये शंकर मंदिर तक महेश साहू अरविन्द के मकान तक रोड एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1487456.00	1320177.00	11.25 प्रतिशत निम्न दर पर	मेसर्स अन्नपूर्णा कान्स्ट्रक्शन कंपनी	स्वीकृति प्रदान की गई

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित-4

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1149	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत 95/95 विष्णु बाबा हाता मे इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा गलियों का सुधार कार्य एवं छोटे भैंसिया हाता व 92/11 के पास मेनहोल रेजिंग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,49,616.00	5,48,132.00	आगणन दर से 0.27 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्स्ट्रक्शन कंपनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1150	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं0 111ए/136 से 111ए/291 तक दोनों ओर फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,00,082.00	6,09,071.00	आगणन दर से 13.0 प्रतिशत निम्न	मे0 राधे राधे कान्स्ट्रक्शन	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1151	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं0 111ए/118 से 111ए/123 तक दोनों ओर फुटपाथ पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,20,026.00	5,72,346.00	आगणन दर से 7.69 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रेम नारायण गुप्ता	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1152	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत मकान नं0 97/129 से 97/14 गुलाम कादिर के मकान तक गली का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	6,67,025.00	6,65,424.00	आगणन दर से 0.24 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्स्ट्रक्शन कंपनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई

1153	जोन-4 वार्ड 15 के अन्तर्गत स्वरूप सर्जिकल्स से सीलिंग हाउस होते हुये हनीमैन तिराहा तक सड़क के दोनों ओर नाली का सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	9,14,318.00	7,77,171.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 पारस ट्रेडर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1154	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत निहारिका अपार्टमेन्ट से 10 / 495 इरशाद मिर्जा के घर तक सड़क साईट पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	10,69,713.00	9,09,256.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 एच0आर0 ट्रेडर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1155	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं0 111/27, 111/49 एवं 111/46 की सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	7,22,872.00	6,14,441.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1156	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं0 107/45ए से टूटी रेलवे लाईन तक मार्ग का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	8,74,173.00	7,43,047.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 एन0एस0 ट्रेडर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1157	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत सेंट फ़ासिंस स्कूल के चारों ओर साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	6,79,629.00	5,77,685.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सतगुरु इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1158	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत एस0के0 बाजपेयी के घर से भदौरिया चौराहा तक (दोनों ओर) बालकनी में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	10,65,356.00	9,05,552.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 गगन कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1159	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत अमर जवान चौक से कोका कोला चौराहा तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,32,029.00	7,92,225.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 आशू कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1160	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत कान्ती गेस्ट हाउस चौराहा से (109 / 386 से) 109 / 261 तक (दोनों ओर) बालकनी में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,98,814.00	8,48,992.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रेम नारायण गुप्ता	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1161	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत ओम बिल्डिंग चौराहा से कान्ती गेस्ट हाउस चौराहा तक बालकनी में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,70,905.00	9,95,269.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 गणेश एण्ड कम्पनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई

1162	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत सुलभ से मकान नं0 15/13 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,84,402.00	5,81,742.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1163	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत नरेश चन्द्र चतुर्वेदी पार्क से मकान नं0 111ए/308 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	10,48,421.00	8,91,158.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्स्ट्रक्शन	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1164	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत मकान नं0 10/408 एवं 10/407 तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	25 प्रतिशत निर्धन नगरीय सुविधा	6,55,121.00	5,56,853.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 अनन्या कान्स0 एण्ड सप्लायर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1165	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत परेड मछली मार्केट से लाल इमली कासिंग तक नाली व साईड पटरी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,32,518.00	5,37,640.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1166	जोन-4 वार्ड 22 बेनाझाबर के अन्तर्गत एलेनगंज कालोनी में रामलीला ग्राउण्ड स्टेज के पास गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,22,124.00	6,13,805.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1167	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत 10/457 से दि मॉडल स्कूल तक सड़क साईड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	10,66,574.00	9,06,588.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 विकम इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1168	जोन-4 वार्ड 13 खलासी लाईन के अन्तर्गत मकान नं0 10/525 से 10/487 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	11,39,325.00	9,68,427.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1169	जोन-4 वार्ड 22 के अन्तर्गत खैराबाद आई हास्पिटल से जल संस्थान की टंकी तक एवं 112/248 से आर0के0 देवी अस्पताल तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,32,654.00	9,62,756.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्राओली	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1170	जोन-4 वार्ड 43 अशोक नगर के अन्तर्गत मकान नं0 111ए/80ए से 111ए/65 के पास सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं कर्व स्टोन द्वारा नाली का सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	8,27,373.00	7,03,267.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सिकन्दर सप्लायर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई

1171	जोन-4 वार्ड 43 अशोक नगर के अन्तर्गत सुच्चा स्वीट हाउस से 111ए/253 एवं 111ए/252 की गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं कर्व स्टोन द्वारा नाली का सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	8,51,497.00	7,23,772.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सिद्धविनायक कान्स0 कंपनी	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1172	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत साइकिल स्टैण्ड से सलीम पान वाले तक नाला सुधार कार्य।	नाला/नाली अनुरक्षण	6,60,107.00	6,52,186.00	आगणन दर से 1.2 प्रतिशत निम्न	मे0 एच0आर0 ट्रेडर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1173	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत मकान नं0-104/488 से 104/38, 104/19 से 104/92 एवं 104/72 व मजार, 104/15 से बजरिया तक गलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	634004.00	629122.00	आगणन दर से 0.77 प्रतिशत निम्न	मे0 सेवन स्काई	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1174	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत मकान नं0-104/239 से 104/40 एवं 104/205 से 104/195 तक गलियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	593141.00	593082.00	आगणन दर से 0.01 प्रतिशत निम्न	मे0 सेवन स्काई	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1175	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत झूलेलाल मन्दिर वाली सड़क की नाली एवं साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स तथा टूटी मस्जिद रोड पर कैट आई, थर्मोप्लास्ट का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	753163.00	640189.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 बीनू इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1176	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं0 107/80 से टूटी रेलवे लाईन तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने, भूमिगत जल निकासी पाइप डालने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1062568.00	903183.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0आर0जी0 टाइल्स इण्डस्ट्रीज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1177	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं0- 107/10 से टूटी रेलवे लाईन तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	3111370	694522.00	590343.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 एन0एस0 ट्रेडर्स	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1178	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं0 111/59ए, 111/49 एवं 111/46 की गलियों में फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	847940.00	720749.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1179	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत मछुआ नगर मलिन बस्ती की आन्तरिक गलियों एवं नाली का सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	979688.00	832735.00	आगणन दर से 15.0	मे0 प्रिया इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत

					प्रतिशत निम्न		प्रदान की गई
1180	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत द्वारिकापुरी मैदान में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	25 प्रतिशत निर्धन नगरीय सुविधा	749645.00	637198.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1181	जोन-4 वार्ड 04 ग्वालटोली के अन्तर्गत सन्तोषी माता मन्दिर से पुराने रेलवे पुल तक सड़क पटरी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	606368.00	515413.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सुपर कान्स0कं0	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1182	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत 5 / 97 तिवारीघाट मलिन बस्ती की आन्तरिक गलियों एवं नाली का सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	999857.00	849879.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 मिश्रा कान्स0कं0	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1183	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन मलिन बस्ती में मकान नं0 10 / 152 से सेटलमेन्ट कालोनी गेट तक जल निकासी हेतु नाले का सुधार कार्य।	नाली/नाला अनुरक्षण	865017.00	786041.00	आगणन दर से 9.13 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1184	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत 9 / 20 इसाई कब्रिस्तान में पहुँच मार्ग का सुधार कार्य।	3111370	980138.00	959555.00	आगणन दर से 2.10 प्रतिशत निम्न	मे0 शाह इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1185	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत 9 / 20 आर0डी0 कालोनी के पीछे अल्लाह बक्श कब्रिस्तान में पहुँच मार्ग का सुधार एवं भूमिगत जल निकासी पाइप डालने का कार्य।	3111370	881904.00	863384.00	आगणन दर से 2.10 प्रतिशत निम्न	मे0 शाह इण्टरप्राइजेज	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1186	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत दुर्गा देवी रोड की फुटपाथ/साईड पटरी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार एवं कर्व स्टोन नाली का निर्माण कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	1062131.00	902811.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सिद्धविनायक कान्स0कं0	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई
1187	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के सामने फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं कर्व स्टोन नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	738411.00	627650.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 संजय शर्मा	पढ़कर स्वीकृत प्रदान की गई

मा० कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1188	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत स्वरूप नगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गेट से विद्या मन्दिर स्कूल तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	14,96,990.00	12,72,441.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा०लि०	स्वीकृति प्रदान की गई
1189	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत गूदड़ बस्टी जाने वाले मार्ग का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	25 प्रतिशत निर्धन नगरीय सुविधा	12,68,336.00	10,78,085.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० एन०एस० ट्रेडर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1190	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं० 111ए/ 153 से 111ए/ 169 तथा 111ए/ 196 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,90,736.00	12,67,126.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० अनन्या कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1191	जोन-4 वार्ड 43 के अन्तर्गत मकान नं० 111ए/ 106 से 111ए/ 81 तक दोनों ओर फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	13,18,092.00	11,20,378.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० अनन्या कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1192	जोन-4 वार्ड 43 अशोक नगर के अन्तर्गत मकान नं० 111ए/ 21 से 111ए/ 05 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	13,74,815.00	11,68,592.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1193	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत कमिश्नर आवास कासिंग से मॉडल स्कूल तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	12,20,782.00	10,37,665.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे० जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1194	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत नेहरू नगर स्थित गीता पार्क बारातशाला के आधुनिकीकरण का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	16,40,472.00	15,58,448.00	आगणन दर से 5.0 प्रतिशत निम्न	मे० अंकित एण्ड एसोसिएट्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1195	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत भवन सं० 11/71 से 11/299 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट	राज्य वित्त आयोग	22,75,467.00	19,34,147.00	आगणन दर से	मे० डेल्टा इरेक्टर्स प्रा०लि०	स्वीकृति प्रदान की

	द्वारा सुधार कार्य।				15.0 प्रतिशत निम्न		गई
1196	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत एल्डिको अपार्टमेन्ट से तिलक नगर रोड तक फुटपाथ का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का निर्माण कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	18,07,154.00	15,36,081.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1197	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में तिलक नगर स्कूल से केस्को कालोनी तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	22,08,171.00	18,76,945.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सीताराम इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1198	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत तिरपाल मैदान (92/11 से 92/01 तक) की गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं जल निकासी का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,89,954.00	14,85,484.00	आगणन दर से 0.30 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्सट्रक्शन कम्पनी	स्वीकृति प्रदान की गई
1199	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत छोटा भैसिया हाता मलिन बस्ती की आन्तरिक गलियों का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	13,90,650.00	13,86,617.00	आगणन दर से 0.29 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्सट्रक्शन कम्पनी	स्वीकृति प्रदान की गई
1200	जोन-4 वार्ड 05 के अन्तर्गत चुन्नीगंज स्थित सुदर्शन नगर भैसा गोदाम की आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	11,31,877.00	11,31,311.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 शिफा कान्स0 कम्पनी	स्वीकृति प्रदान की गई
1201	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत आनन्दबाग चौराहा से टेनरी तिराहा कालपी रोड तक डीप डॉट सीवर लाईन का रीहैबिलिटेशन का कार्य।	नाली/ नाला अनुरक्षण	1220636.00	1214532.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 पी0आर0एस0टी0 इन्फारस्ट्रेक्चर	स्वीकृति प्रदान की गई
1202	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0-105 / 698 से 105 / 590 होते हुए 105 / 487 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य। परिवर्तित स्थल- जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत थाना चमनगंज से गाँधी चौक तक एवं 105 / 560 से 105 / 580 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1448328.00	1433845.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई

1203	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत ठठेर वाली गली, मछली बाजार वाली गली की साईड पटरी व नाली का सुधार कार्य व मकान नं0-107 / 79-80 की गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं जल निकासी हेतु भूमिगत पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2044890.00	1738157.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 सिद्धविनायक कान्स0कं0	स्वीकृति प्रदान की गई
1204	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 108 / 37 से शान्ति निकेतन स्कूल, विजय टावर रोड तक फुटपाथ का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार एवं कर्व स्टोन नाली का निर्माण कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	1197302.00	1017707.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 श्री बालाजी इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1205	जोन-4 के अन्तर्गत बिसाती कब्रिस्तान एवं नब्बू शाह कब्रिस्तान के अन्दर आर0सी0सी0 शेड, बेन्च निर्माण व सबमर्सिबल फिटिंग का कार्य।	3111370	1088644.00	1083745.00	आगणन दर से 0.45 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0ए0 बिल्डर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1206	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत तकिया छेदी शाह एवं तकिया अल्लाह-बक्श कब्रिस्तान के अन्दर आर0सी0सी0 शेड, बेन्च निर्माण व सबमर्सिबल फिटिंग का कार्य।	3111370	1087120.00	1077771.00	आगणन दर से 0.86 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0ए0 बिल्डर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1207	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक से मकान नं0 113 / 65 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1496785.00	1272267.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित (आगणन स्वीकृति)

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
1208	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत ठठेर वाली गली, मछली बाजार वाली गली की साईड पटरी व नाली का सुधार कार्य व मकान नं0 107 / 79-80 की गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवंज ल निकासी हेतु भूमिगत पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	20,44,890.00	—	—	—	स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित (जोन-6)

प्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
1209	जोन-6 वार्ड- 16 ख्यौरा अन्तर्गत श्रीमती मानवती आर्या(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) के आवास से सूर्य बिहार मुख्य मार्ग तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	2305007	1498246.00	1303474.00	आगणन दर से 13.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स श्रीबालाजी कान्ट्रैक्टर	स्वीकृति प्रदान की गई
1210	जोन-6 वार्ड-34 सर्वोदय नगर के अन्तर्गत आर०टी०ओ० आफिस से महावीर पार्क तक फुटपाथ का सुधार कार्य	2305007	1490035.00	1266530.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स तारा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1211	जोन-6 वार्ड-27 सरोजनी नगर के अन्तर्गत सी०एल० मेमोरियल नर्सिंग होम चौराहे से ज्ञान शिक्षा निकेतन स्कूल तक शास्त्री नगर में साइड पटरी का सुधार कार्य।	2305007	1424070.00	1281663.00	आगणन दर से 10.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स नीरज त्रिवेदी	स्वीकृति प्रदान की गई
1212	जोन-6 वार्ड-20 नारामऊ अन्तर्गत दयानन्द बिहार में फेस -2 में एम आई जी-61 से एम आई जी-70 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	2305007	1486890.00	1263856.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स बाला जी ट्रेडर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1213	जोन-6 वार्ड-8 मसवानपुर के अन्तर्गत अब्दुल वासिद मनोनित पार्श्वद के मकान से किशन टेन्ट हाउस तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य पार्ट-ए	2305007	1355227.00	1151943.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स शंकर कॉन्स०	स्वीकृति प्रदान की गई
1214	जोन-6 वार्ड-87 काकादेव के अन्तर्गत अनिल आटा चक्की से हितकारेश्वर मन्दिर तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	2305007	1497649.00	1273002.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स एस०बी०एम० कॉन्स०	स्वीकृति प्रदान की गई
1215	जोन-6 वार्ड- 16 ख्यौरा अन्तर्गत श्रीमती मानवती आर्या(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी) के आवास से म०न०-एम.आई.जी-7 /सी तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	2305001	1496379.00	1301849.00	आगणन दर से 13.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स श्रीबालाजी कान्ट्रैक्टर	स्वीकृति प्रदान की गई

1216	जोन-6 वार्ड-18 कल्यानपुर के अन्तर्गत आर०बी० सोनकर के घर से ब्रिज मोहन मिश्रा के मकान तक हॉटमिक्स प्लाट द्वारा सड़क एवु फुटपाथ का सुधार कार्य।	2305007	1310717.00	1114110.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स श्रीराम	स्वीकृति प्रदान की गई
1217	जोन-6 वार्ड-20 नारामऊ के अन्तर्गत दयानन्द विहार फुस-2 मे यादव तिराहा म०न०-एमआईजी०-१ से एमआईजी०-११५ डा० जयगुप्ता के मकान तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	2305007	1419144.00	1206273.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स एन०एस० ट्रेडर्स	स्वीकृति प्रदान की गई
1218	जोन-6 वार्ड-26 विजय नगर अन्तर्गत रघुवीर सिंह चन्देल के घर के सामने गल्ला मण्डी की रोड नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	2305001	1493758.00	1269694.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स स्वाती कॉन्स० कं०	स्वीकृति प्रदान की गई
1219	जोन-6 वार्ड-82 शास्त्री नगर अन्तर्गत कालीमठिया स्थित बरातशाला की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	2305001	1039474.00	883552.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स विशाल कॉन्स०	स्वीकृति प्रदान की गई
1220	जोन-6 वार्ड-20 नारामऊ के अन्तर्गत इन्दिरा नगर मेन जी०टी० रोड से गुलमोहर अपार्टमेन्ट तक हॉटमिक्स प्लाट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	2305001	1099498.00	934573.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स जगदम्बा इंटर प्राइजेज	स्वीकृति प्रदान की गई
1221	जोन-6 अन्तर्गत नगर निगम इन्क्लेव आवासीय योजना में सड़क,नाली सीवर लाइन और जल आपूर्ति का विकास कार्य।	2305007	11039640.00	9383694.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स आनन्द शेखर बाजपेयी	स्वीकृति प्रदान की गई
1222	जोन-6 वार्ड-46 विनायकपुर के अन्तर्गत सत्यम बिहार में पानी की टंकी एम०पी०आइ० सी० स्कूल से एम०आई०जी० एच-८१ तक नाली एवं हाटमिक्स प्लाट द्वारा सड़क का सुधार कार्य	2305007	2297523.00	1952894.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मेसर्स श्रीबालाजी कान्ट्रैक्टर	स्वीकृति प्रदान की गई
1223	जोन-6 वार्ड-45 नवाबगंज के अन्तर्गत आर०बी०आर०डी० इंटरकालेज नवाबगंज भवन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	2305001	1565740.00	स्वीकृति प्रदान की गई
1224	जोन-6 वार्ड 61 लाजपत नगर मैं म०न०१२० / १६१ से रंगोली गेस्ट हाउस तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	2305007	1835745.00	-	-	-	स्वीकृति प्रदान की गई

प्रस्ताव संख्या-1225

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व कार्यकारिणी समिति की बैठक में नामकरण सम्बन्धी जो प्रस्ताव नामकरण समिति को प्रेषित किये गये थे, उस पर विचार विमर्श करते हुये मुख्य अभियन्ता द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा करते हुये वैधानिकता प्रदान की जानी है। कृपया तद्भुत निम्नवत् प्रेषित प्रस्तावों पर परीक्षण करते हुये निर्णय लिया जाये।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्र संख्या डी/139 /मु०अ०/15-16 दिनांक 02-07-15 नामकरण द्वारा नामकरण सम्बन्धित प्रस्ताव जो अनुमोदित/स्वीकृत किये गये हैं, को वैधानिकता प्रदान करने हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

कार्यवृत्त

दिनांक 20.05.2015 को सायं 4 बजे मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में नामकरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जोनल अधिकारी श्री विनय राय, जोन-5, श्री अतुल कृष्ण, जोन-6, श्री पी०एन० वाजपेयी, आर०आई० जोन-4, अधिशासी अभियन्ता श्री एस०के० सिंह जोन-2, श्री चरन सिंह जोन-3, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव जोन-5, श्री यशवीर सिंह जोन-4, श्री देवेन्द्र कुमार जोन-6 एवं सहायक अभियन्ता जोन-1 श्री वी०के० सिंह ने प्रतिभाग किया। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये—

क्रमांक	प्रस्तावक	प्रस्ताव	खण्ड से प्राप्त आख्या	प्रेषित आख्या	निर्णय
1	श्री रामनरेश पाण्डेय	120 फिट रोड बर्ग-2 स्थित चौराहा (अग्निहोत्री क्लाथ हाउस के सामने) वाले स्थल को गोपाल चौक नामकरण किया जाना।	पूर्व में दिनांक 04.09.2014 को अपरान्ह 4 बजे नामकरण समिति द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय एवं राज्य सरकार के अधिकारों के दृष्टिगत प्रस्ताव निरस्त किया गया जिसपर मा० महापौर जी द्वारा पुनः विचार विमर्श हेतु पत्र लिखा गया।	120 फिट रोड बर्ग-2 स्थित चौराहा (अग्निहोत्री क्लाथ हाउस के सामने) वाले स्थल का नामकरण गोपाल चौक किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।	स्वीकृति प्रदान की गई
2	श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि मा० पार्षद	चुन्नीगंज विवेक टाकीज के सामने चौराहे का नाम भारतीय संविधान सभा के सदस्य चौधरी भगवानदीन के नाम से किया जाना।	स्थानीय जानकारी के अनुसार प्रश्नगत चौराहे का कोई नाम नहीं है। अतः प्रस्तावित नामकरण किया जा सकता है।	चुन्नीगंज विवेक टाकीज के सामने चौराहे का नाम भारतीय संविधान सभा के सदस्य चौधरी भगवानदीन के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	स्वीकृति प्रदान की गई

3	श्री नवीन पण्डित, मा० पार्षद	बर्ग शास्त्री चौक से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट वाटिका का नाम जनेश्वर वाटिका किया जाना।		स्थलीय निरीक्षण कर खण्ड द्वारा आख्या प्रेषित की जाय।	स्वीकृति प्रदान की गई
4	श्री आलोक दुबे, मा० पार्षद	जवाहर नगर/रामकृष्ण नगर मध्य स्थित क्रान्ति होटल वाले चौराहे का नामकरण स्वामी विवेकानन्द जी के नाम से किया जाना।	स्थानीय जानकारी के अनुसार प्रश्नगत चौराहे का कोई नाम नहीं है। अतः प्रस्तावित नामकरण किया जा सकता है।	स्वामी विवेकानन्द जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के दृष्टिगत उपयुक्त स्थल के नामकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। प्रस्तावित क्षेत्र तर्कसंगत नहीं है।	नामकरण समिति की अख्या पर सहमति प्रदान की गई
5	श्रीमती प्रवेश चड्ढा, मा० पार्षद	गोविन्द नगर ब्लाक सं० ९ में पुराना पार्क स्थित आदर्श नागरिक धर्मशाला का नाम समाजसेवी स्व० रामप्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर किया जाना।	प्रश्नगत स्थल पर आदर्श नागरिक धर्मशाला निर्मित है जिसमें धर्मशाला संरक्षक के रूप में स्व त्रिपाठी की नाम प्लेट लगी है। स्थानीय नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि इसके निर्माण में स्व० त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा है। अतएव प्रस्तावित स्थल का नाम इनके नाम पर किया जा सकता है।	गोविन्द नगर ब्लाक सं० ९ में पुराना पार्क स्थित आदर्श नागरिक धर्मशाला का नाम समाजसेवी स्व० रामप्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	स्वीकृति प्रदान की गई
6	श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार मा० पार्षद	जोन-६ वार्ड-८२ में कैप्टन विश्वनाथ सिंह भदौरिया के नाम से चैन फकट्री चौराहे से पाठक की टाल तक सड़क का नाम इनके नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।		चैन फकट्री चौराहे से पाठक की टाल तक सड़क का नाम कैप्टन विश्वनाथ सिंह भदौरिया के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	प्राप्त आख्या को निरस्त करते हुये प्रश्नगत स्थल में पूर्व में किये गये नामकरण को स्वीकृति प्रदान की गई

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नामकरण के प्रेषित प्रस्तावों में यह भी देख लिया जाय कि कोई नाम पूर्व से प्रचलित तो नहीं है तथा सम्बन्धित के नामकरण हेतु उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ-साथ उसके सामाजिक योगदान की आख्या को भी प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही समिति को कुछ प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ हस्तगत किये गये जो निम्नवत् है :—

क्रमांक	प्रस्तावक	प्रस्ताव	खण्ड से प्राप्त आख्या	प्रेषित आख्या	निर्णय
1		चुन्नीगंज, लाल इमली, जरीब चौकी, अफीम कोठी में किसी एक चौराहे का नाम पाठक चौक किये जाने के सम्बन्ध में।		पूर्व से प्रचलित नाम हैं। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।	निरस्त
2	श्री हाजी सुहैल अहमद माझ पार्षद	जोन-4 वार्ड-110 व 107 के मध्य स्थित तिराहा लाल कुओं पर चौक की स्थापना करने एवं उसका नामकरण स्व0 बाबू बदरे (पूर्व विधायक) के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत लाल कुओं तिराहे पर एक पुराना कुओं है जिसे पाट दिया गया है। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता है। इसके बगल में गुमटी रखकर अस्थायी अतिक्रमण किया गया है। कुएँ की जगह को चौक के नाम से विकसित किया जा सकता है।	स्व0 बाबू बदरे (पूर्व विधायक) तथा नगर निगम में पूर्व में सभासद भी रह चुके हैं अतः जोन-4 वार्ड-110 व 107 के मध्य स्थित तिराहा लाल कुओं पर चौक स्थापना करते हुये चौक का नाम बाबू बदरे के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	स्वीकृत
3	श्री आलोक दुबे (अप्पू) माझ पार्षद	महान बाल साहित्यकार डा० राष्ट्रबन्धु के नाम पर किया जाना।	जोन-4 से प्राप्त आख्या अस्पष्ट है।	माझ पार्षद द्वारा नामकरण हेतु पत्र में स्थल स्पष्ट नहीं किया गया है।	चूँकि डॉ. राष्ट्रबन्धु महान बाल साहित्यकार थे अतः जहाँ पर इनके परिवारीजन निवास करते हो उस गली का नामकरण इनके नाम से कर दिया जाये
4	श्री राजीव मिश्रा,	वरिष्ठ स्वतंत्र वीर व वरिष्ठ समाजसेवक स्व0 पं० छोटेलाल के	जोन-2 से प्राप्त आख्या अस्पष्ट है।	चूँकि इनका कार्यक्षेत्र जनपद फतेहपुर रहा है तथा क्षेत्रीय	निरस्त

	राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्व प्रान्तीय सेना	नाम पर श्याम नगर सी ब्लाक चौबे आटा चक्की से लेकर 512—सी सॉई धाम तक सडक को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।		योगदान की भी कोई आख्या नहीं है अतः प्रस्तावित सडक का नामकरण इनके नाम पर किया जाना सभीचीन नहीं होगा।	
5	श्री हाजी सुहैल अहमद मा० पार्षद	जोन—1 के अन्तर्गत बॉसमण्डी चौराहे का नामकरण समाजसेवी व काजी—ए—शहर “अलहाज कारी मो० अब्दुस्समी साहब” के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।	स्थल निरीक्षण किया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार मो० अब्दुस्समी साहब बॉसमण्डी में निवास करते थे। इनके द्वारा अनेकों शिक्षण संस्थान चलाये गये जिसमें गरीबों को मुफ्त शिक्षा एवं गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता था। इनके द्वारा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिये अनेकों कार्य किये गये।	जोन—1 के अन्तर्गत बॉसमण्डी चौराहे का नामकरण समाजसेवी व काजी—ए—शहर “अलहाज कारी मो० अब्दुस्समी साहब” के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	स्वीकृत
6	श्री हाजी सुहैल अहमद मा० पार्षद	घण्टाघर चौराहे से परेड मुर्गा मार्केट तक की सडक का नामकरण हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पं० गणेश शंकर विद्यार्थी—मौलाना हसरत मोहानी के नाम से किया जाना।	परेड चौराहे से मूलगंज चौराहे तक सडक नई सडक के नाम से तथा मूलगंज चौराहे से घण्टाघर चौराहे तक की सडक हालसी रोड के नाम से प्रचलित है। पं० गणेश शंकर विद्यार्थी—मौलाना हसरत मोहानी द्वारा महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने के साथ—साथ देश के उत्थान हेतु अनेकों कार्य किये गये थे।	घण्टाघर चौराहे से परेड मुर्गा मार्केट तक की सडक का नामकरण हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पं० गणेश शंकर विद्यार्थी—मौलाना हसरत मोहानी के नाम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	प्रश्नगत स्थल में निवासियों की नागरिकता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रभावित होंगे, अतः दोनों वर्णित विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को यूनीपोल में अंकित किया जाये
7	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय मा० पार्षद	भूसा टोली चौराहे से मोती मोहाल की ओर जाने वाली सडक का नाम स्व हरि दीक्षित के नाम से किया जाना।	स्व० हरि दीक्षित जी एक समाजसेवी थे। जीवन पर्यन्त समाजसेवा में लगे रहे। अपने कृत्वों के द्वारा आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई।	स्व० हरि दीक्षित जी के समाज सेवा हेतु किये गये किसी विशेष कृत्य का उल्लेख करते हुये आख्या प्रस्तुत की जाय।	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या-1226

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ / स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।

नगर निगम के कीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रशिक्षण व्यवस्था को मोतीझील स्थित कारगिलपार्क में बने स्केटिंग रिंग पर स्केटिंग के राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी से प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिये श्री सुरेश आसवानी पुत्र श्री उद्धव दास 120/173, लाजपत नगर कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:-

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा मोतीझील स्थित कार्गिल पार्क के स्केटिंग रिंग नगर निगम कानपुर में रोलर स्केटिंग एकाडमी को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा रोलर स्केटिंग की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री सुरेश आसवानी) कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग रिंग पर रोलर स्केटिंग एकाडमी के नाम से शर्तों के अधीन रोलर स्केटिंग एकाडमी चलायेगे। रोलर स्केटिंग एकाडमी में बच्चों को केवल रोलर स्केटिंग का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कार्गिलपार्क मोतीझील स्केटिंग रिंग पर एकाडमी चलाने पर प्रथम पक्ष के कीड़ा विभाग में प्रतिमाह रुपया 1000/- (रुपया एक हजार)मात्र किराये के रूप में जमा करना होगा। यह धनराशि एक वर्ष हेतु एक मुश्त रुपया 12000/- (रुपया बारह हजार) मात्र जमा करने होगे और द्वितीय पक्ष द्वारा अगले वर्ष के लिये और मांगने पर पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से रोलर स्केटिंग एकाडमी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष रोलर स्केटिंग एकाडमी चालने हेतु रुपया 1000/- (रुपया एक हजार)मात्र धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जिसकी वापसी रोलर स्केटिंग एकाडमी के संतोषजनक संचालन के पश्चात प्रथम पक्ष के सहायक किकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्य कुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग पर एकाडमी चलाने हेतु प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक शर्तों के अधीन उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची कीड़ा विभाग द्वारा समय—समय पर दी जायेगी।
8. यह कि द्वितीय पक्ष रोलर स्केटिंग एकाडमी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये जो भी उपकरण इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा स्केटिंग खेलने के उन्नयन एवं संबद्धन करने हेतु सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा कार्गिलपार्क मोतीझील स्थित स्केटिंग रिंग तथा स्केटिंग खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के कानपुर नगर निगम कीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक किकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
11. यह कि रोलर स्केटिंग एकाडमी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के कार्गिलपार्क मोटीझील के अन्दर नहीं किया जायेगा।
12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रुपया 1000/- (रुपया एक हजार)मात्र को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
14. यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य अभियन्ता वि./याँ. ने अवगत कराया कि सम्बन्धित संस्था एक वर्ष के संचालन के लिये नहीं लेना चाहती है।

सभापति ने कहा कि बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये नगर निगम द्वारा विभागीय कोच रखते हुये न्यूनतम रु0 100/- पंजीयन शुल्क निर्धारित करते हुये निर्णय लिया जाये।

..... रु0 100/- पंजीयन शुल्क के साथ नगर निगम द्वारा विभागीय कोच रखते हुये स्केटिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये, साथ ही यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई बच्चा हो तो उसे निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या- 1227

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।

नगर निगम के कीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय किकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर मे श्री मो0 आमिर खॉ राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी से प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय किकेट खिलाड़ियों कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:-

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर कानपुर में किकेट एकाडमी को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा किकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक माह की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री आमिर खॉ) स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर पर साउथ किकेट एकेडमी के नाम से शर्तों के अधीन किकेट एकेडमी चलायेगे। साउथ किकेट एकेडमी मे बच्चों को केवल किकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय (रणजी ट्राफी) अन्तर्राष्ट्रीय, एन0आई0एस0, बी0सी0सी0आई से प्रशिक्षित किकेट प्रशिक्षको व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर पर साउथ किकेट एकेडमी चलाने पर प्रथम पक्ष के कीड़ा विभाग में प्रतिमाह रुपया 4000/- (रुपया चार हजार आठ सौ)मात्र किराये के रूप में जमा करना होगा। यह धनराशि एक वर्ष हेतु एक मुश्त रुपया 48000/- (रु0 अड़तालिस हजार) मात्र जमा करने होगे और द्वितीय पक्ष द्वारा अगले वर्ष के लिये और मांगने पर पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर अगले वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से साउथ किकेट एकेडमी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।

5. द्वितीय पक्ष साउथ किकेट एकेडमी चालने हेतु रुपया 25000/- (रुपया पच्चीस हजार) मात्र की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम से ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, जिसकी वापसी साउथ किकेट एकेडमी के संतोषजनक संचालन के पश्चात प्रथम पक्ष के सहायक किकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्य कुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किंदवई नगर पर साउथ किकेट एकेडमी चलाने हेतु किकेट नेट प्रातः व सांय काल सहायक किकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तों के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदो, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची कीड़ा विभाग द्वारा समय—समय पर दी जायेगी।
8. यह कि द्वितीय पक्ष साउथ किकेट एकेडमी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये नेट, बाल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा किकेट खेलने के उन्नयन एवं संबद्धन करने हेतु सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किंदवई नगर पर स्थित किकेट खेल से सम्बन्धित नियमो, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के कानपुर नगर निगम कीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक किकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
11. यह कि साउथ किकेट एकेडमी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम किंदवई नगर के अन्दर नहीं किया जायेगा।
12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियममितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रुपया 25000/- (रुपया पच्चीस हजार) मात्र को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
14. यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।

सभापति ने कहा कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम तथा किंदवई नगर स्थित रतनलाल शर्मा स्टेडियम में पंजीकृत संस्थाओं, जिनसे नगर निगम ने अनुबन्ध किया है, द्वारा अनापेक्षित शुल्क लिया जा रहा है इससे संस्था तो लाभान्वित हो रही है, परन्तु खेलों का समुचित विकास नहीं दिख रहा है। अतः किसी कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने से पूर्व पूर्णतः विचार कर लिया जाये कि पूर्व में जिन संस्थाओं से अनुबन्ध हो चुका है, उनका नवीनीकरण भविष्य में न किया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि प्रशिक्षण देने का शुल्क एवं गरीब अमीर के वर्गीकरण का क्या मानक होगा ?

श्री जफर आलम, सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक ने बताया कि पालिका स्टेडियम में फुटबॉल का प्रति मैच रु0 100/- शुल्क जमा कराया जाता है।

श्री सुमित सरोज ने बताया कि मेरे वार्ड स्थित खेल के मैदान में एक मैच का रु0 2500/- शुल्क लिया जाता है। सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के अनुसार बताये गये शुल्क से नगर निगम को राजस्व की क्षति पहुँच रही है। अतः प्रस्ताव में दी गई धनराशि कम प्रतीत होती है। मेरा सुझाव है कि समाज हित में खेलों को प्रत्साहित किया जाये, परन्तु व्यवसायिक न बनाया जाये।

..... नगर निगम कीड़ा स्थलों के प्रति अनुबन्ध किये जाने से पूर्व नीति निर्धारित कर ली जाये, जिससे खेलों को समुचित प्रोत्साहन मिल सके और नगर निगम का राजस्व हित भी सुरक्षित रहे।

प्रस्ताव संख्या-1228**माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है—**

यह प्रस्ताव दिनांक 22.06.2015 की माननीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया था जिस पर माननीय कार्यकारिणी ने पुनः परीक्षण कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया था। इस प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर लिया गया है तथा आगामी कार्यकारिणी की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत है:—

नगर निगम के क्रीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को पालिका स्टेडियम पर रणजी ट्राफी क्रिकेट खिलाड़ियों एवं समय—समय पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों से क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन पुनः एक वर्ष के लिये श्री लोकेश धर्माधिकारी 11/218, सूटरगंज, कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:—

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क आर्य नगर, कानपुर में क्रिकेट नर्सरी को सुचारू रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करें।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री लोकेश धर्माधिकारी) पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी के नाम से शर्तों के अधीन क्रिकेट नर्सरी चलायें। क्रिकेट नर्सरी में बच्चों को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, (रणजी ट्राफी) अन्तर्राष्ट्रीय, एनोआईएसओ, बी०सी०सी०आई० से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षकों व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पर क्रिकेट नर्सरी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रति माह रु० 8800.00 (रु० आठ हजार आठ सौ मात्र) किराये के रूप में जमा करना होगा। यह धनराशि एक वर्ष हेतु एकमुश्त रूपया 105600.00 (रु० एक लाख पाँच हजार छ: सौ मात्र) जमा करने होंगे तथा पूर्व वर्ष के कार्य को सन्तोषजनक पाये जाने पर तीसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से क्रिकेट नर्सरी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के सन्तोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष क्रिकेट नर्सरी को चलाये जाने पर भी 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु रु० 25,000/- (रूपया पचीस हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम से ड्राफ्ट के रूप में जो जमा है जिसकी वापसी क्रिकेट नर्सरी के सन्तोषजनक संचालन के पश्चात् प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षण द्वारा कार्यकुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सायंकाल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तों के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराये जायें।

7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय— समय पर दी जायेगी।
8. यह कि द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये नेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्नयन एवं संबर्द्धन करने हेतु, सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
11. यह कि क्रिकेट नर्सरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम के अन्दर नहीं किया जायेगा।
12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि ₹0 25,000/- (रुपया पचास हजार मात्र) को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
14. यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को सन्दर्भित किया जायेगा, और उनका ही निर्णय अन्तिम होगा।
- नगर निगम क्रीड़ा स्थलों के प्रति अनुबन्ध किये जाने से पूर्व नीति निर्धारित कर ली जाये, जिससे खेलों को समुचित प्रोत्साहन मिल सके और नगर निगम का राजस्व हित भी सुरक्षित रहे।

प्रस्ताव संख्या- 1229 श्रीमती सरोजनी यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 माह पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- वार्ड के अन्तर्गत चौराहो का सुन्दरीकरण करने हेतु।

वार्ड-87 हितकारी नगर जोन-6 मे मकान न0 117/पी0/194 से मकान न0 117/पी0/347 एवं मकान न0 117/पी/370 तक का फुटपाथ निर्माण कार्य। के आगणन धनांक रु 14,48,431.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 14.08.2014 को दी गई जिसके उपरान्त दिनांक 22.06.2015 को निविदाये मांगी गयी। जिसमे मात्र 07 निविदाये प्राप्त हुई जिसमे से 05 निविदाये समान दरो 15% निम्न पर प्राप्त हुई। 15% निम्न वैध निविदा दाता की लाटरी दिन 09.07.15 को की गयी। जिसमे सर्व निविदा दाता मे पारस नाथ बिल्डर्स की निविदा आगणन से 15% निम्न पर प्राप्त हुई है जिसका धनांक रु 12,33,141.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 15.09.2015 को दी गई है। जो कि माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1230 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/ नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर
विचार करना:-

हम आपका ध्यान नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन शिक्षिकाओं का वेतन 6-7 हजार प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है जबकि नगर निगम, लखनऊ में अंशकालीन शिक्षिकाओं का वेतन 20,000/- हजार रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है।

अतः कानपुर नगर निगम में कार्यरत अंशकालीन शिक्षिकाओं का वेतन लखनऊ नगर निगम की भाँति मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अपर नगर आयुक्त द्वितीय ने अवगत कराया कि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में अंशकालिक शिक्षिकाओं का वेतन प्रतिमाह रु० 7000/- भुगतान किये जाने के सन्दर्भित पारित प्रस्ताव को शासन को संदर्भित किया गया है, जिसके सापेक्ष उ०प्र० शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं प्रदान किये गये हैं।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि अंशकालिक शिक्षिकाओं की भाँति मार्गप्रकाश विभाग में कार्यरत एवजदारों के सम्बन्ध में पारिश्रमिक स्वीकृति किया जाये।

सभापति ने कहा कि जब नगर निगम को अपने संसाधनों से ही वेतन का भुगतान किया जाना है, तो शासन को संदर्भित किये जाने का क्या औचित्य है ?

..... निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण पर विस्तृत रूप से नगर आयुक्त के माध्यम से महापौर के संज्ञान में लाया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1231 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, व 04 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- निवास वार्ड में कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती न करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित करते हुये अवगत कराना है कि नगर में नगर निगम के कर्मचारी जो अपने ही निवास वार्ड में विभिन्न पदों में तैनात है जो कई वर्षों से काबिज है तथा वही पर भाई-भतीजा वाद एवं अराजकता फैला रहे हैं जिससे शहर में नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाई-भतीजा वाद एवं निजी हितों के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है जिसकी शिकायतें भी लगातार उच्चस्थ अधिकारियों को समय-समय पर दी जाती रही हैं।

अतः निवेदन करते हुये प्रस्तावित किया जाता है कि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी अपने निवास वार्ड में तैनात न किया जाय जिससे शहर में नगर निगम की छवि साफ सुधरी एवं कायों में पारदर्शिता दिखे तथा कायों में अनावश्यक दखलन्दाजी बन्द हो।

..... किसी वार्ड में निवास कर रहे किसी भी कर्मचारी को उसी वार्ड में पदस्थ न किया जाये साथ ही श्री परवेज सफाई कर्मचारी को उसके निवास के वार्ड से स्थानान्तरित किया गया है, उसे पुनः उसी वार्ड में न पदस्थ किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1232 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/ नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- मेरे वार्ड 104 जोन-1 के अन्तर्गत नाला रोड पर बने नगर निगम के चिकित्सालय को मेरे द्वारा संचालित करने हेतु गोद या अनुबन्ध पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मेरे वार्ड 104 (जोन-1) के अन्तर्गत नाला रोड स्थित नगर निगम का होम्योपैथिक अस्पताल काफी समय से बन्द पड़ा है जिसके कारण काफी जनता प्रभावित हो रही है इलाज की सुविधा न होने के कारण। चूँकि पूर्व में अस्पताल क्षेत्रीय अपराधियों व माफियाओं के कब्जे में था तथा मेरे द्वारा बामुशिक्ल खाली कराया गया व निर्माण कराया गया है। चूँकि नगर निगम के चिकित्सा विभाग को मृत मान लिया गया है।

अतः मा० कार्यकारिणी के माध्यम से मै आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि जनहित व नगरनिगम हित में उक्त बन्द पड़े होम्योपैथिक चिकित्सालय को यदि गोद/अनुबन्ध के माध्यम से मुझे दे दिया जाये तो मै स्वयं अपने खर्च से उक्त चिकित्सालय का संचालन करूँगा ताकि आम जनता को समुचित इलाज मिल सके व नगर निगम की सम्पत्ति की भी रक्षा हो सके व अस्पताल का बेहतर संचालन हो सकें।

..... प्रश्नगत अस्पताल को संचालन हेतु अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भाँति मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर से भी वार्ता कर सहमति प्राप्त कर ले यदि उनके द्वारा सहमति न दी जाये तो आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या-1233 श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- सामुदायिक केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में।

वार्ड 13 खलासी लाइन में 18/229 की खाली जगह पर क्षेत्रीय जनता की मॉग पर एक सामुदायिक केन्द्र दो मन्जिला का (क्योंकि जगह कम है) बनवाने का कष्ट करें जिससे गरीब परिवारों के कार्यक्रम एवं छोटी-2 बैठके इत्यादि के लिये कहीं दूर एवं पैसे न खर्च करने पड़े।

..... परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1234 श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- शौचालय बनवाने के सम्बन्ध में।

वार्ड 13 खलासी लाइन में गरीब जनता बहुत रहती है जिन्हे शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। इसलिय महोदय से विशेष अनुरोध है कि वार्ड कार्यालय जिसमें सिर्फ सामान ही रहता है यहाँ कोई अधिकारी एवं बाबू बैठते नहीं हैं के पीछे काफी जगह पड़ी है वहाँ पर 15 सीटों का शौचालय बनवाने का कष्ट करें। माननीय की महान दया होगी।

..... परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1235 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

वार्ड 65 गॉधी नगर में नगर निगम की मार्केट बनी है उसमे दो दुकानें खाली हैं आपसे अनुरोध है कि पूर्व में जिस प्रकार बाबा अमर नाथ लंगर समिति को दो दुकानें आवंटित की गयी हैं उसी प्रकार उक्त मार्केट की रिक्त पड़ी दोनों दुकानों को शनि सांई मन्दिर समिति, गॉधी नगर को आवंटित कराने की कृपा करें।

उक्त आवंटित करने हेतु नगर निगम की सभी शर्तें शनि सांई मन्दिर समिति को मान्य होंगी।

..... परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1236 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

कृपया दिनांक 22-06-2015 को आहूत मा० कार्यकारिणी की बैठक में वर्कशाप विभाग में पदस्थ फोरमैन श्री अनुपम कुमार गुप्ता एवं स्टोर कीपर श्री सुनील कुमार निगम के सम्बन्ध में मिल रही शिकायतों के कारण निष्पक्ष जॉच हेतु मा० कार्यकारिणी के निर्णायानुसार उन्हे वर्कशाप विभाग से हटा दिया गया था। मा० कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की जॉच विभिन्न अधिकारियों एवं जॉच समिति से करायी गई जॉच में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। वर्कशाप विभाग एक जनहित कार्यों से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण विभाग है एवं वहाँ पर अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता अधिक है। इसलिये दोनों कर्मचारियों श्री अनुपम कुमार गुप्ता को फोरमैन के कार्य हेतु एवं श्री सुनील कुमार निगम को स्टोर कीपर के कार्य हेतु पूर्व की भाँति पदस्थ करने का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक (सी०सी०) ने बताया कि तत्कालिक नगर आयुक्त ने दोनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते हुये कूड़ा गाड़ियों के क्रय की जॉच हेतु समिति गठित की थी, जिसमें उक्त समिति ने परीक्षण के दौरान हाथ कूड़ा गाड़ियों का वजन सही पाया गया और सफाई उपकरणों के क्रय में कोई प्रतिकूलता न पाये जाने के कारण ही श्री अनुपम कुमार गुप्ता को पुनः पदस्थ किया गया है।

नगर आयुक्त ने भी स्पष्ट किया कि वर्कशॉप विभाग में अकेला तकनीकि अधिकारी होने के कारण ही श्री अनुपम कुमार गुप्ता को पुनः पदस्थ किया गया है।

सभापति ने कहा कि चूँकि पूर्व में कार्यकारिणी समिति द्वारा स्थानान्तरण करते हुये जॉच कराने का निर्णय पारित किया गया था, अतः वर्तमान में उनको पुनः पदस्थ किये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति के संज्ञान में लाया जाना चाहिये था।

..... नगर आयुक्त द्वारा तद्दनुसार कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या-1237 श्री आलोक दुबे ” अपू”, (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 02 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- कमला नेहरू पार्क के अर्धनिर्मित फल्लारे को चलाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि कमला नेहरू पार्क में पूर्व मेयर माननीया सरला सिंह जी के कार्यकाल में फव्वारे का निर्माण होना निश्चित हुआ था, फव्वारे का निर्माण भी होना भी चालू हुआ परन्तु विषम परिस्थितियों में कार्य पूर्ण न हो सका आज क्षेत्रवासी उक्त अर्धनिर्मित फव्वारे को देखकर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं तथा स्व० मेयर माननीय सरला सिंह जी की अलोचना करते हैं ।

अतः जनहित में यथाशीध्र उक्त अर्धनिर्मित फव्वारे को चला कर उनकी आत्मा की शान्ति दिलाने का प्रयास करें ।

..... स्वीकृत प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या-1238 श्री आलोक दुबे ” अप्पू”, (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 08 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम के सरकारी अस्पताल के बाहर दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि हमारे वार्ड संख्या 51 में जच्चा-बच्चा अस्पताल था जो कि अब बन्द पड़ा है यदि उक्त अस्पताल की वाउन्ड्री वाल पर नगर निगम दुकानें बना दे तो नगर निगम की आय वृद्धि के साथ साथ लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़गे तथा जो लोग उक्त स्थान पर कब्जे की नियम रखते हैं उनके भी हौंसले पस्त होगे तथा कार्य जनहित में होगा ।

..... स्थलीय निरीक्षण कर यह देखा जाये कि यातायात में कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं होगा तदनुसार ही अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

प्रस्ताव संख्या-1239 श्री आलोक दुबे ” अप्पू”, (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 08 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- वार्ड कार्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व हमारे वार्ड 51 के मकान नं० 109/54 में नगर निगम का वार्ड कार्यालय था जो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा लोग उक्त स्थान पर कब्जे के उद्देश्य से लगे हैं यदि उक्त स्थान पर वार्ड कार्यालय का निर्माण हो जाये तो हमारे टैक्स इस्पेक्टर इत्यादि के बैठने का स्थान होगा और जनता को भटकना नहीं पड़ेगा । अतः जनहित में यथाशीध्र वार्ड कार्यालय बनाने का आदेश पारित करें ।

..... स्वीकृत प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या-1240 श्री आलोक दुबे ”अप्पू”, (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 04 माह पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- शहर के नसों में व्याप्त अतिक्रमण से निजात के सन्दर्भ में।

हम नगर निगम के अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण इस अतिक्रमण महोत्सव को प्रतिवर्ष लाखों रूपये खर्च करके बड़ी धूमधाम से मनाते हैं परन्तु आज तक कोई भी ठोस कदम न उठने से बिमारी जस की तस है और ज्यादा बढ़ रही है। यदि हम ईमानदारी के साथ सार्थक दिशा में प्रयास करे तो प्रयास सफल होगा। हमारे अनुसार यदि समस्त जोनों के जोनल व अन्य अधिकारीगण अपने वीडियो कैमरे से अतिक्रमण वाले स्थान का फोटो लेकर उक्त व्यक्ति से यूजर चार्ज ले तथा दुबारा करने के उपरान्त धनराशि की रकम का प्रावधान दूना कर दे इससे अतिक्रमण पर रोक होगी व नगर निगम की आय वृद्धि के साथ साथ उस पर होने वाला खर्च बचेगा। उक्त कार्य जनहित में निरान्त आवश्यक है। अतः कार्यकारिणी के माध्यम से यथाशीघ्र पारित करें।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि जब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 74वाँ संविधान संशोधन लागू नहीं किया जायेगा तब तक निदान नहीं होगा। अतः निर्वाचित निगम के पदेन सदस्यों (माह सांसद/विधायक) द्वारा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से 74वें संविधान संशोधन लागू करने हेतु प्रभावी पैरवी की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त ने अतिक्रमण प्रभारी से कहा कि अभियान चलाकर स्थल से अतिक्रमण हटाया जाये, सामान जब्त किया जाये और यूजन चार्ज भी वसूला जाये और साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाये, जिससे स्थल पर पुनः अतिक्रमण न हो सके।

..... अतिक्रमण हटाने से पूर्व स्थल की फोटो तथा अतिक्रमण हटाने के पश्चात् की फोटों लेते हुये समीप के थाना रजिस्टर में टिप्पणी अंकित की जाये कि अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित थाने का उत्तरदायित्व होगा।

प्रस्ताव संख्या-1241 श्री आलोक दुबे ”अप्पू”, (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 07 माह पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- जलकल विभाग के निरीक्षकों द्वारा अवैद्य रूप से पैसा लेकर चल रहे पानी तथा सीवरों के कनेक्शनों के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि प्रायः जलकल विभाग पैसे का रोना रोता है और यदि निरीक्षण करें तो हर वार्ड में हजारों की संख्या में अवैद्य कनेक्शन मिलेंगे जो जलकल विभाग के निरीक्षक प्रतिवर्ष पैसा लेकर चला रहे हैं। अतिशीघ्र उक्त अवैद्य कनेक्शनों की जांच हो तथा चल रहे अवैद्य कनेक्शन वैध करें तथा दोषी व्यक्तियों की जांच हो इससे जलकल विभाग की आय वृद्धि होगी तथा क्षेत्र के कार्यों में इजाफा होगा।

सभापति ने कहा कि कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कैम्प लगाकर अवैध कनेक्शनों का निरीक्षण करवाते हुये दण्डात्मक कार्यवाही के साथ संयोजन भी नियमित किये जाये।

महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि गाड़ियों की सर्विसिंग करने हेतु संस्थानों द्वारा फुटपाथ में ही सबमर्सिबल पम्प लगाये जाते हैं, जिससे जल भी बर्बाद होता है तथा सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि अवैध बोरिंग के प्रति दण्डात्कम कार्यवाही हेतु नियमों के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये।
..... नगर निगम अधिनियम में प्राविधिक धाराओं के अन्तर्गत फुटपाथ पर की जा रही अवैध बोरिंग को संज्ञान में लेते हुये कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1242 श्रीमती नमिता कनौजिया (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं माहा पौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- वार्ड में बारातशाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड 15 परमट जोन-4 में गरीब जनता निवास करती है जो महर्गे -2 गेस्ट हाउस का खर्च नहीं झेल पाती है।

अतः हमारे वार्ड की जनता को अपने बच्चों की शादी में रोड से या खुले स्थनों पर करने के लिये वाध्य होना पड़ता है। दूसरे वार्डों की तरह हमारे वार्ड में भी बारातशाला बनवाने की कृपा करें।

..... चूँकि प्रस्तावक द्वारा स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-1243 श्रीमती नमिता कनौजिया (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं माहा पौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम की खाली पड़ी जगह पर दुकानें बनवाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड 15 परमट जोन-4 में नगर निगम की खाली जगह पड़ी है जिस पर लोग कब्जा करके दुकान चला रहे हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उस स्थान पर 10 बाई 10 की दुकानों का निर्माण करोन की कृपा करे जिसके आवंटन से नगर निगम की आय का माध्यम बने और आय भी बढ़ेगी।

..... चूँकि प्रस्तावक द्वारा स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-1244 श्री आशुतोष त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं माहा पौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- विभिन्न जॉचों की रिपोर्टों को लोक प्रकटीकरण हेतु।

मैंने इस विषय की ओर पूर्व की कार्यकारिणी समिति की बैठक 26-02-15 को प्रस्ताव दिया था परन्तु आज तक शामिल नहीं किया गया। विकास हेतु ये आवश्यक है कि विकास कार्यों व सभी नीतिगत कार्यों में पारदर्शिता हो और हमारा तन्त्र भ्रष्टाचार मुक्त हो। संविधान में भी इसका प्रयास किया गया और देश और प्रदेश की सरकारों ने समय-समय पर शासनादेश भी दिये। हमारा कानपुर नगर निगम भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बन चुका है। आज तक लाईटिंग घोटाला मार्ग प्रकाश घोटाला (हाई-वे), ए टू जेड घोटाला, नाला सफाई घोटाला आदि की जॉच आज तक पहली है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जॉचो के उपरासन्त उसकी रिपोर्टों का लोक प्रकटीकरण करवाया जाये ताकि टैक्स देने वाली जनता अपने पैसे की अनियमिताओं को जा सके और इनकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।

..... परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1245 श्री आशुतोष त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- फुटपाथ जो नगर निगम की सम्पत्ति है, भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने पर जॉच हेतु एवं कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति में रखने हेतु।

मेरे द्वारा 23.09.14 को मा० नगर आयुक्त महोदय को उन भू-माफियाओं पर कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था जो फुटपाथ पर कब्जा करके बहु-मंजिली इमारते बनवाकर बेंच रहे हैं। मेरे वार्ड समेत पूरे शहर में इसे देखा जा सकता है। जनता की जगह को बेचने के साथ -साथ उन लोगों के लिये जो इस भवनों में रहेंगे उन्हे स्वच्छ हवा, पानी, सीवर, मार्ग प्राकश, खेल के मैदान हम कैसे उपलब्ध करायेंगे।

नगर निगम सम्पत्ति के नुकासान के साथ साथ धारा 292,333,390 और उ०प्र० पार्क, खेल, मैदान और खुली जगह (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियमावली 2005 आदि धाराओं का उल्लंघन है।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा दिये गये पत्र पर जो जनहित में नितान्त आवश्यक था उस पर जो कार्यवाही हुई हो वो मा० कार्यकारिणी के समय प्रगति रिपोर्ट रखने का कष्ट करें।

..... नगर निगम की भू सम्पत्ति, सड़क एवं फुटपाथ के अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाये तथा कृत कार्यवाही को महापौर के संज्ञान में भी लाया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1246 श्री कैलाश नाथ पाण्डेय (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर का हृदय स्थल घण्टघर टावर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है चारों ओर की रेलिंग टूट गई है ऊपरी हिस्से में पेड़ पौधे उग आये हैं जिससे कभी कभी प्लास्टर आदि भी गिरता है। कृपया परीक्षण कराकर मरम्मत एवं पुताई के माध्यम से सुन्दरीकरण कराने का कष्ट करें।

..... प्रश्नगत स्थल का सुन्दरीकरण कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1247 श्री कैलाश नाथ पाण्डेय (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड 105 दानाखोरी के अन्तर्गत सुतरखाना स्थित नगर निगम की खाली जमीन पर कुछ लोगों ने टट्टर

आदि डाल कर कब्जा कर लिया है मेरा आपसे अनुरोध है कि उस जमीन को कब्जा मुक्त करा कर एक बारातशाला बनवने का कष्ट करें।
..... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1248 श्री आदर्श (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:-**
विषय:- शहर में पालीथीन प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

हम सभी पार्षद व आप भी हमेशा नाली व सीवर की समस्यायें जनता के द्वारा सुनते रहते हैं जिसका प्रमुख कारण पालीथीन है। अस्तु आपसे विनम्र निवेदन है कि मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, गंगा सफाई में हम अपने शहर से एक सकारात्मक सहयोग दे व पालीथीन को प्रतिबन्धित करें।
..... उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालीथीन को प्रतिबन्धित किये जाने के कारण प्रस्ताव स्वयमेव प्रभावी हो गया है।

प्रस्ताव संख्या-1249 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 13 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:-**

विषय:- विद्युत शवदाह गृह में होने वाले अन्तिम संस्कार कार्यक्रम को निःशुल्क किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये ऐरोधाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में अन्तिम संस्कार कार्यक्रम को निःशुल्क कर दिया जाये जिससे लकड़ी का उपयोग कम हो सकेगा जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। विद्युत शवदाह गृह का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐरोधाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में होने वाले अन्तिम संस्कार कार्यक्रम को निःशुल्क किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश पारित करें।

..... निर्णय लिया गया कि अंतिम संस्कार में समाज की भावनायें भी जुड़ी रहती हैं, अतः विद्युत शवदाह के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार भी किया जाये साथ ही युग दधीचि के प्रस्ताव में वर्णित अंशों को भी समाहित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1250 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 13 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:-**

विषय:- नगर निगम द्वारा निर्मित दर्शनपुरवा मे बारातशाला के प्रथम खण्ड व कमरे बनाये जाने के सम्बन्ध मे।

सादर अवगत कराना है कि दर्शनपुरवा में नव निर्मित बरातशाला सिर्फ भूतल में निर्मित है जिसका प्रथम खण्ड पूर्णतया आकाश के नीचे है पूर्णतया खुला होने के कारण मौसम बरसात व गर्मी व कमरे न होने से लोगों को आरी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

अतः आप से निवेदन है कि वर्तमान निर्मित बरातशाला से लोगों को होने वाली परेशानियों के बचाव हेतु बरातशाला के प्रथम खण्ड व दो कमरों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश देने का कष्ट करें।

..... परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1251 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 13 मार्च पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मार्च महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- अन्तिम संस्कार हेतु शव ले जाने के लिये प्रत्येक जोन में एक एक शव वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि शव को शमशान धाट तक ले जाने के लिये नगर निगम द्वारा हर जोन में एक-एक शव वाहन उपलब्ध कराया जाये ताकि आर्थिक रूप से असमर्थ दुखी परिवारों के द्वारा अपने मृत प्रियजनों को शमशान धाट पहुंचाने में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रत्येक जोन में एक-एक शव वाहन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

..... नगर आयुक्त द्वारा तदनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1252 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 10 मार्च पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मार्च महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:

विषय:- दर्शनपुरवा ओमनगर तिराहे से गुमटी नं० ५ तक के मार्ग का नामकरण सुप्रसिद्ध राष्ट्रसेवी, समाजसेवी स्व० राम कुमार निगम के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि गहन चिन्तक, राष्ट्रवादी विचारक, स्वतन्त्रता सेनानी स्मृतिषेश रामकुमार निगम दूरदृष्टा एवं स्पष्ट वक्ता थे। उनका सम्पूर्ण जीवन हम सबके लिये प्रेरक एवं आदर्श है। उनका कृतित्व हम सबको आज भी अपने जीवन में उदात्त जीवन मूल्यों एवं नैतिक उथान की प्रेरणा प्रदान करता रहता है।

ऐसे युगपुरुष रामकुमार निगम की स्मृतियां क्षेत्रवासियों में सदैव बनी रहे, उनके कृतित्व से हम सब ऊर्जा प्राप्त करते रहें इस हेतु आवश्यक है कि दर्शनपुरवा ओमनगर तिराहे से गुमटी नं० ५ तक की सड़क का नाम “स्व० रामकुमार निगम मार्ग” रखने का आदेश पारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

जीवन परिचय: राम कुमार निगम

भारत माता के प्रति समर्पित राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण जीवन दर्शन के प्रतीक, गहन चिंतक एवं राष्ट्रवादी विचारक स्मृतिशेष श्रद्धेय राम कुमार निगम एक दूरदृष्टा एवं स्पष्ट वक्ता थे। वे न केवल चिंतक थे वरन् जो चिंतन करते थे उसे व्यावहारिक जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करते थे। वस्तुतः चिंतन, मनन एवं कर्तव्यपरायणता जिस व्यक्ति में एकाकार होकर प्रकृत होती है वही व्यक्ति विलक्षण एवं समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाला (अगुवाकार) होता है।

ऐसे विलक्षण गुणों से सम्पन्न स्वर्गीय राम कुमार निगम का जन्म 1930 में कानपुर के परेड मोहल्ले में जय नारायण निगम के परिवार में हुआ था। उनके मन में राष्ट्रभक्ति का ज्वार विधार्थी जीवन से ही हिलोरे ले रहा था। इसी कारण पी०पी०एन० कालेज में उच्छ्वासे अपने साथियों के साथ मिल कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम

देने का प्रयास किया। जब कालेज के शिक्षकों को इनके द्वारा बम बनाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इन्हे समझाया और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात आंदोलन एवं जनजागरण द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की।

इस बीच राम कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आये। कानपुर में संघ के कार्यक्षेत्र विस्तार में उनका विशेष योगदान रहा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गयी। इस घटना के बाद संघ पर प्रतिबंध लग गया। यद्यपि राम कुमार जी का विवाह हो गया था किंतु उन्होंने दांपत्य जीवन का मोह छोड़ कर संघ पर प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी। उनके इस काम में उनकी पत्नी ज्ञानदेवी का पूरा योगदान रहा। कालांतर में भारत सरकार के योजना मंत्रालय के अधीन सांख्यकीय विभाग में उनकी नियुक्ति हो गयी। आजीविका के लिए नौकरी करना आवश्यक था किंतु राष्ट्र की सेवा परम कर्तव्य है इस भावना के साथ उन्होंने समाज सेवा के कार्य करते रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुस्तकालय की स्थापना की और अभियान चला कर तत्कालीन साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षकों, राजनेताओं एवं समाजसेवियों से पुस्तक रूप में सहयोग भी प्राप्त किया। बाद में इस पुस्तकालय ने कानपुर के लोकप्रिय पुस्तकालय के रूप में सर्व स्वीकृति प्राप्त की। सरकारी नौकरी में इटावा स्थानांतरण होने के बावजूद वह चिंता करते रहे कि पुस्तकालय का संचालन होता रहे।

इटावा से कानपुर वापसी पर सन् 1968 में राम कुमार जी 119/159 दर्शनपुरवा स्थित अपने पैतृक रिनवास में आकर रहने लगे और यहीं पर उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। अपने निवास पर ही 'स्वामी विवेकानन्द युवक संघ' की स्थापना एवं उसके अन्तर्गत विचार गोष्ठी, संवाद, सांस्कृतिक आयोजन एवं खेलकूद के कार्यक्रमों का लगातार आयोजन करते रहे। जाति वर्ग के भेद के बिना विवेकानन्द युवक संघ क्षेत्र के जनमानस में प्रभावी सामाजिक एवं सुधारक संगठन के रूप में स्थापित होने लगा। इतना ही नहीं, आयु बढ़ने के साथ वह प्रौढ़जनों के साथ साप्ताहिक सत्संग का भी अयोजन करने लगे।

संसार शास्वत है और शरीर नश्वर। लगातार हाई ब्लड प्रेशर और श्वास रोग से पीड़ित होने के कारण 66 वर्ष की अवस्था में नौ अप्रैल, 1996 को हृदयगति रुकने से वह गो-लोकवासी हो गये। वस्तुतः उनका कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व, स्पष्ट विचार शैली, राष्ट्रवादी विचार एवं समाज सुधार की भावना समाज के लिये हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहे।

..... प्रश्नगत स्थल के नामकरण हेतु तद्दनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1253 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मार्च पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मार्च महापौर जी द्वारा

अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम पालिका स्टेडियम का नाम महान वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति स्वरूप एम पीओ जेम्स अब्दुल कलाम रखे जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि देश के महान वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति पदम भूषण, पदम विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित साधारण परिवार में जन्म लेने वाले एयरो स्पेस इन्जीनियर के रूप में भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में शिखर पर पहुँचाने वाले स्वरूप डॉ एम पीओ जेम्स अब्दुल कलाम को सम्पूर्ण देश अत्यन्त सम्मान प्रदान करता है उन्हे लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं।

अतः आप से निवेदन है कि नगर निगम पालिका स्टेडियम का नाम स्वरूप एम पीओ जेम्स अब्दुल कलाम रखने का आदेश पारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

..... चूँकि पूर्व से प्रचलित नाम है तथा प्रस्तावित नामकरण से शब्दीयत का कद भी प्रभावित होगा, अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-1254 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मार्च पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मार्च महापौर जी द्वारा

अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- अपने भारत वर्ष में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कानपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

सदर अवगत कराना है कि प्रथम राष्ट्रीय गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झण्डा ऊँचा रहे हमारा के रचयिता पद्मश्री श्याम लाल गुप्त (पार्षद) की स्मृति में भारत वर्ष में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज फूलबाग या मोतीझील में स्थापित किये जाने से उक्त स्थल एक पर्यटक एवं आर्कषक स्थल बन जायेगा एवं देश भर में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा जिससे समस्त देशवासी स्व0 श्याम लाल गुप्त पार्षद के कार्यों से परिचित होंगे और अपना कानपुर भी आर्कषक स्थल बन जायेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि फूलबाग या मोतीझील में सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का का आदेश पारित करने की कृपा करें।

..... कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फूलबाग में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव संख्या-1255 श्री नवीन पण्डित (पार्षद)/अध्यक्ष, दक्षिण विकास मोर्चा द्वारा प्रस्तुत व 07 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- दक्षिण में एक मात्र समशान घाट स्वर्ग आश्रम के सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

हमारे दक्षिण में आजाद कुटिया है जो समशानघाट और स्वर्ग आश्रम के रूप में यहां पर दक्षिण में रहने वाले हिन्दू परिवार अपना अन्तिम संस्कार करते हैं और पंजाबी, सिख, सिन्धी व अन्य हिन्दू जाति भी यहां पर अन्तिम संस्कार करने आते हैं यहां पर समाज द्वारा व नगर निगम विधायक निधि आदि से काम कराये गये थे जिनका अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है अगल-बगल में आबादी भी रहती है भैरवघाट के झंझट से बचने के लिये दक्षिणवासियों के पास यह आरामदेय समशानघाट है यहां विद्युत शवदाह मशीन वा हाईमाक बेंचे वाउन्ड्री की रिपेयिरिंग सुन्दरीकरण पथ-वे निर्माण करा दिया जाये तो दक्षिण के लोग नगर निगम की शारणा कर रहे हैं और अधिक करेंगे ये समाज से जुड़ा एक गम्भीर समस्या है। शवदाह मशीन आ जाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जायेगा व अगल बगल के रहने वालों को राहत दी जा सकेगी। यहां के वासियों की यह पुरानी मांग है। केंडी०ए० ने जब मकान एलाट किया था और नगर निगम को हैण्डओवर किया था तब से यहां के लोग यह कार्य कराने के लिये प्रयासरत हैं।

मैं समस्त सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यगण व नगर निगम के अधिकारियों से दक्षिणहित में निवेदन करता हूँ कि यहां का भी सुन्दरीकरण करा दिया जाये दक्षिण विकास मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूँगा।

..... प्रश्नगत स्थल के सुन्दरीकरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1256 श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 04 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

गोविन्द नगर वार्ड 93 विधार्थी मार्केट में वंगालादेश के झगड़े में जो विस्थापित आये थे उन्हे यहां पर बसाया गया था लेकिन आज दक्षिण का मिनी नवीन मार्केट हो गया है हमारे जल संस्थान की वाउन्ड्री जो जोन-5 का मुख्यालय है करोड़ो रूपये में वाउन्ड्री का किनारा, फुटपाथ दुकानदरो ने अपने

सामने दो दो -तीन तीन लाख में बेच दिया है। तीन पार्क हैं पार्क तो खत्म होकर दुकाने बन गयी है। २५-२५ लाख में दुकाने बेची गयी है और मैदान खत्म हो गया है करोड़ों की राजस्व की हानि हो रही है।

अतः अतिक्रमण अभियान चलाकर जल संस्थान की वाउन्ड्री व पार्क को खाली कराने हेतु आदेश कार्यकारिणी पारित करें।

..... परीक्षण कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1257 श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर
विचार करना:-

आपको सादर अवगत कराना है कि जो नगर निगम का मुख्यालय है वो पूरी बिल्डिंग हमारी है और हमने आधी बिल्डिंग कानपुर विकास प्राधिकरण को दे रखा है और जमीन भी हमारी है क्या कानपुर विकास प्राधिकरण सालों से हमारी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है का किराया नहीं दे रहा है या तो के०डी०ए० उक्त हिस्सा नगर निगम से खरीद कर आज का राजस्व नगर निगम को मुहैया कराये या अभी का किराया नगर निगम को दे अगर के०डी०ए० इसके लिये राजी नहीं होता है तो नगर निगम विकास प्राधिकरण को बिल्डिंग खाली कराने की नोटिस देकर विकास प्राधिकरण से बिल्डिंग खाली कराये साथ ही हमने जापानी गार्डेन कानपुर विकास प्राधिकरण को विकसित करने के लिये दिया था और उसमें के०डी०ए० ने म्यूजिकल फाउण्डेशन शादी विवाह के लिये पैसा बटोरा जबकि तात्कालिन नगर विकास मंत्री लाल जी टण्डन ने यहाँ का म्यूजिकल फाउण्डेशन कानपुर की जनता को समर्पित किया था वहाँ पर माननीय पार्षदों के पथर भी लगे थे जिसे वर्तमान उपाध्यक्ष ने हटवा दिया है यदि विकास प्राधिकरण का समय पूरा हो गया हो तो जापानी गार्डेन उनसे अब ले लिया जाये और हो रहे विकास के बाद महापौर सहित सम्मानित पार्षदों के पथर लगाने का आदेश कार्यकारिणी करने का कष्ट करें।

..... विधिक राय लेकर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1258 श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर
विचार करना:-

मार्ग प्रकाश विभाग में अनुरक्षण का कार्य प्रकाश निरीक्षकों के द्वारा कराया जाता है। नगर निगम के सभी जोनों में वर्तमान समय में कोई प्रकाश निरीक्षक कार्यरत नहीं है सभी जोनों में अनुरक्षण का कार्य अन्य कर्मचारियों से लिया जा रहा है। हमारे जोन-५ में प्रकाश निरीक्षक श्री जी० के० गुप्ता के सेवा निवृत्त होने के बाद से श्री एस०पी०मिश्रा द्वारा इस जोन के अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जोन-५ के अन्तर्गत आने वाले सभी वाडँों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था संतोषजनक है और सभी मा० पार्षदगण संतुष्ट हैं।

श्री मिश्रा 30-11-2015 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। इनकी सेवा निवृत्ति के बाद जोन-५ में मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य प्रभावित हो सकता है।

अतः हमारा सुझाव है कि श्री एस०पी०मिश्रा को सेवा निवृत्ति के बाद संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसी प्रकार सेवा का अवसर दिया जाये जिस प्रकार से केयर टेकर श्री हसन अशरफ को सेवा निवृत्ति के बाद मा० कार्यकारिणी द्वारा नगर निगम में कार्य करने हेतु निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री मिश्रा इस कार्य के लिये आवश्यक 3 वर्षीय इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की अर्हता रखते हैं।

..... नगर आयुक्त कार्यहित में कार्यवाही कराये।

प्रस्ताव संख्या-1259 श्रीमती सरोजनी यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 07 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- पार्कों के सुन्दरीकरण/लाइटिंग हेतु प्रस्ताव।

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड क्षेत्र में एक भी पार्क का सुन्दरीकरण पिछले २०-२५ वर्षों में आज तक नहीं हुआ है जिसको दृष्टिगत रखते हुये निम्न पार्कों को माननीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव दे रही हूँ।

अतः प्राथमिकता पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

1- एच ब्लाक पार्क 2- पोपेश्वर पार्क 3- डी ब्लाक पार्क 4- दुर्गा मन्दिर पार्क 5- आजाद पार्क 6- ई ब्लाक पार्क बर्ग-8

..... उल्लिखित पार्कों में से 03 पार्कों का सुन्दरीकरण कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1260 श्रीमती सरोजनी यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- वार्ड के अन्तर्गत चौराहों का सुन्दरीकरण करने हेतु।

सादर अवगत कराना है कि वार्ड 62 के अन्तर्गत अन्धाकुओं चौराहा व गोल चौराहा व राम गोपाल चौराहा को माननीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव दे रही हूँ कि उक्त चौराहों को सुन्दरीकरण कराने का कष्ट करें।

..... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1261 श्री बीरबल सिंह (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- ईदगाह में स्वामी अछूतानन्द द्वारा का कार्यकारिणी में स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

वार्ड नं० 6 में डा० अम्बेडकर के गुरु स्वामी अछूतानन्द जी का कर्मभूमि बेनाझावर कालोनी ईदगाह में रहा है। इसी स्थान से स्वामी अछूतानन्द जी ने दलितों के उद्धार के लिये उनके हक और हकूम की लड़ाई लड़ी और अन्त समय में इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्वामी अछूतानन्द जी के नाम का द्वारा ईदगाह कालोनी में कार्यकारिणी के द्वारा प्रस्ताव नगर निगम में पास कराने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।

..... परीक्षण कर यदि व्यवहारिक हो तो कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1262 श्री राज किशोर यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व ०४ मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नगर निगम की बेशकीमती भूमि 105/253 श्री नगर जो चमन गंज थाने के ठीक सामने है अवैध अतिक्रमण हटाकर दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि चमन गंज थाने के सामने नगर निगम की बेशकीमती भूमि है जिस पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसको अतिक्रमण मुक्त करके यथाशीश्र दुकानों के निर्माण का आदेश पारित करें ताकि नगर निगम की आय वृद्धि हो।

..... परीक्षण कर यदि व्यवहारिक हो तो कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1263 श्री अतुल त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस पत्र द्वारा आपसे अनुरोध है कि वार्ड 11 जोन-04 गीता पार्क में नगर निगम निधि द्वारा एक कक्ष बनवाया गया है। मेरा आपके माध्यम से मा० कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव है कि उपरोक्त कक्ष को गीता पार्क क्युनिटी हॉल जो की बरातशाला के रूप में प्रयोग किया जाता है को बरातशाला लेने वालों को काम काज हेतु उपरोक्त कक्ष भी दिया जाये जिससे निर्धन जनमानस को नगर निगम द्वारा राहत दी जा सके। रामलीला कमेटी को कार्यक्रम करने हेतु उपरोक्त कक्ष 10 दिन पूर्व एवं रामलीला के ९० दिन पश्चात उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाये। उपरोक्त कक्ष की चाभी नगर निगम में ही रखी जायें जिससे वहाँ पर असमाजिक तत्वों का कब्जा न हो सकें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1264 श्री ओम प्रकाश बाल्मीकि (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व ०५ मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

यह है कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पूर्व व्यायातशाला में स्थापित महर्षि बाल्मीकि वाटिका स्थल पर ही भगवान परशुराम वाटिका की तर्ज पर महर्षि बाल्मीकि वाटिका स्थल पर गेट वाउण्ड्रीवाल पेड़ पौधे आदि का सुन्दरीकरण कराये जाने हेतु प्रस्ताव विचार कर स्वीकृति किया जाये जैसा कि पूर्व नगर

निगम कार्यकारिणी प्रस्ताव सं० 146 दिनांक 04-08-2007 में प्रस्ताव में प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है किन्तु खेद है कि विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है इसलिये विचार कर आदेश देने का कष्ट करे।

..... महर्षि वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के दृष्टिगत अन्य स्थान प्रस्तावित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1265 श्री संजय लाल बाथम (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- जोन-6 वार्ड 20 के बैरी क्षेत्र में चन्द्रकेशव मन्दिर के पीछे व प्राईमरी पाठशाला के सामने खुदे तालाब का सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में।

विनम्र निवेदन है के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि बिटूर रोड स्थित बैरी क्षेत्र में चन्द्रकेशव मन्दिर के पीछे व बेसिक प्राईमरी पाठशाला के सामने तालाब है जो कच्चा व जंगल इत्यादि है जिसमें कीड़े मकौड़े व गन्दगी फैल रही है सामने प्राईमरी पाठशाला जो कि छोटे छोटे बच्चों को सॉप इत्यादि का भय रहता है।

अतः माननीय जी से अनुरोध है कि उक्त तालाब का सुन्दरीकरण कराने की कृपा करे जिससे बच्चे व क्षेत्रीय वासी सदा आपके आभारी रहेंगे।

..... परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1266 श्री सरस बाजपेई, अध्यक्ष, कानपुर प्रेस क्लब, 6, नवीन मार्केट, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव

पर विचार करना:-

प्रस्ताव

कानपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की बैठक में प्रेस क्लब को जाने वाले मार्ग पर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से प्रवेश द्वारा बनवाने का प्रस्ताव तय हुआ है। इस प्रवेश द्वारा के निर्माण के लिये क्षेत्रीय भाजपा विधायक श्री सलिल विश्नोई जी अपनी निधि से धनराशि देने के लिये भी तैयार है। इस आशय का सहमति पत्र भी उन्होने आपको लिखा है।

अतएव आप से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ विभाग द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कराने की कृपा करें जिससे प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जा सकें। महोदय को यह अवगत करा दें कि इन प्रवेश द्वारों से कोई यातायात या अन्य तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

..... प्रश्नगत कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है, अतः नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव संख्या-1267 श्री सुरेश गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग महासंघ, व श्री साकेत गुप्ता , संयोजक, पार्षद स्मृति संस्थान,85/218 कुबेर भवन, मोती मोहाल, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

9 सितम्बर,2015 को पार्षद स्मृति संस्थन व उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग महासंघ द्वारा प्रथम राष्ट्रीय झण्डा गीत रचयिता पद्म श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद के 120 वीं जयन्ती कार्यक्रम में आपकी मौजदूगी में पूर्व पार्षद श्री मदन लाल भाटिया जी द्वारा यह प्रस्ताव रखा था कि कानपुर में राष्ट्रीय गीत रचयिता पद्म श्री श्याम लाल गुप्त जी द्वारा रचित की गई थी और उसे 1925 में देश की आजादी के लिये गाया था । तो कानपुर के फूलबाग के मैदान में एक देश का सबसे ऊँचा झण्डा स्थापित किया जायें । जिस पर आपने यह कहा था कि मा० उच्च न्यायालय में फूलबाग मामला लम्बित है । पता नहीं उक्त मामले में क्या निर्णय आयें इसलिये आपके द्वारा गौधी भवन (के०ई०एम० हाल फूलबाग) में उक्त झण्डे को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था । जैसे दिल्ली में जो पर्यटक आता है । वह झण्डा स्थल कनॉट पैलेस भी देखने जाते हैं । जो देश भावना का एक प्रतीक बन गया है । उसी तरह कानपुर में एक झण्डा स्थल बन जायेगा । तो इसको भी देखने देश एवं विदेशी पर्यटक आयेंगे और यह एक ऐतिहासिक स्थल हो जायेगा तथा प्रथम राष्ट्रीय झण्डा गीत रचयिता पद्म श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी को सच्ची श्रद्धाजंलि होगी, जो झण्डागीत है उसे लोग पढ़कर व गुनगुनाकर याद करते रहेंगे । यह कार्य आपको एक सम्बल प्रदान करेगा ।

हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि उक्त कार्य को सम्पादित कराने के लिये आप त्वरित कार्यवाही करने की कष्ट करेंगे ।

..... प्रस्ताव संख्या-1254 में निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रस्ताव संख्या-1268 श्री प्रशान्त शुक्ला, 128/241,एच-१ किंदवई नगर, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विनम्र निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि महानगर कानपुर में महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी है तो यूरिनल न होने से सार्वजनिक जगह पर महिलाओं को अधिक परेशानी होती है महिलाओं को इस परेशानी से उबरने के लिये संस्था ने कानपुर शहर में लगभग दो सौ जगह महिलाओं के लिये यूरिनल बनवाने का संकल्प लिया है । इस महिला यूरिनल के बगल में पुरुष यूरिनल भी बनवाया जा सकता है इस यूरिनल के बन जाने से शहर को साफ सुधरा रखने में मदद मिलेगी । संस्था यूरिनल के निर्माण से लेकर उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखेगी । यूरिनल के निर्माण से लेकर साफ सफाई पर आने वाले खर्चों को संस्था अपने संसाधनों से भरपाई करेगी ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि महिलाओं एवं पुरुष यूरिनल बनवाने हेतु शहर में दो सौ जगह पर निशुल्क जमीन आवंटित करने की कृपा करें । संस्था इन यूरिनलों पर आने वाले खर्चों को विज्ञापन के द्वारा(होल्डिंग,वालपैटिंग)आदि से पूरा करेगी । इसलिये संस्था को विज्ञापन करनें की अनुमति प्रदान करते हुये इसके सभी प्रकार के कर टैक्स(फी)माफ करने की कृपा करें ।

..... संस्था को 200 स्थलों की सूची उपलब्ध कराते हुये नगर निगम के नियमों व शर्तों के अधीन यूरीनल निर्माण की अनुमति देने के साथ साथ ही यूरीनल भवन में निःशुल्क विज्ञापन की अनुमति भी दी जाये ।

प्रस्ताव संख्या-1269 श्री रमाकान्त मिश्र,महामंत्री,कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

सादर अवगत कराना है कि स्व० कामरेड नागेश्वर बाल्मीकी के स्वर्गवास को लगभग 13 वर्ष हो गये हैं, वे ईमानदार एवं सरल स्वभाव के निकाय कर्मचारियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं बहुत काफी प्रयास करने के बाद भी मोतीझील परिसर में उनके स्मृति में कुछ नहीं किया जा सका है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि आपके कार्यालय के बगल में व राजीव वाटिका के पीछे वाला नगर निगम मुख्यालय के गेट का नामकरण कामरेड नागेश्वर जी बाल्मीकी द्वार के नाम से किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इस महान कृपा के लिये संघ सदैव आपका आभारी रहेगा।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1270

पत्र संख्या :- डी/288/सम्पत्ति/15-16

दिनांक :– 19.12.15

आगामी कार्यकारिणी समिति हेतु नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मा० कार्यकारिणी समिति को अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 16.01.13 को सम्पन्न हुई मा० कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं० 47,83 व 84 द्वारा विभिन्न जोनों में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के प्रस्ताव मा० सदन को अग्रसारित किये गये थे एवं मा० सदन की बैठक दिनांक 16.02.13 में कमशः प्रस्ताव सं०-29,36 व 37 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके फलस्वरूप किराये की दरों में वृद्धि करते हुये दिनांक 01.03.13 से प्रभावी किया गया था।

उक्त के कम में विभिन्न आंवटियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 21 रिट याचिकाओं के माध्यम से किये गये किराये की वृद्धि को चुनौती दी गयी थी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा मूल रिट याचिका सं० 36666/2013 के साथ कई रिट याचिकाओं को संकलित (CLUB) करके एक निर्णय दिनांक 13.12.13 को पारित कर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए पारित किया गया जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

In the totality of the circumstances on record, we dispose of these writ petitions with a direction to the Municipal Commissioner to examine the grievance of the petitioners in the matter of enhancement of the rent and to decide the same by means of a reasoned and speaking order, preferable within a period of two months from the date a certified copy of this order is filed by the petitioners. If required he may place the matter again before the Executive Committee of the Nagar Nigam.

We make it clear that till the decision of the representation by the Nagar Ayukta/ Executive Committee, the petitioners shall continue to pay rent as fixed by the Nagar Nigam. Such deposit shall be subject to the order to be passed by the Nagar Ayukt as aforesaid.

We the aforesaid directions, all the writ petitions are disposed of.

मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के कम में उक्त कियात्मक अशं को मा० कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30.08.14 में प्रस्ताव सं० 669 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में किरायेदारों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मा० कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30.08.14 में प्रस्ताव सं० 669 में प्रदत्त स्वीकृति के कम में तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश सं०-338/३/क दिनांक 22.06.15 द्वारा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) एवं समस्त जोनल अधिकारियों को सदस्य नामित कर विभिन्न किरायेदारों द्वारा दी गयी आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एक समिति का गठन किया गया तथा गठित समिति द्वारा दिनांक 25.08.15 को सर्व सम्पत्ति से यह मत स्थिर किया गया कि “मा० न्यायालय के आदेशानुसार सम्बन्धित किरायेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित किराया जमा नहीं करता है तो प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना उचित नहीं है”

दिनांक 25.08.15 को गठित समिति के निर्णयोपरान्त जब सम्पत्तियों का आवंटियों के बढ़े हुए किराये की दरों पर नोटिसे जारी की गयी तो अधिकाशं आवंटियों द्वारा पुनः उसका विरोध करके बढ़ी हुयी दरों पर किराया जमा नहीं किया गया और पुरानी दरों पर ही किराया जमा करने का पुनःआवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया है कि उनसे पूर्व निर्धारित दरों पर ही किराया जमा कराया जाय इस कम में कुल लगभग 217 आवेदन प्राप्त हुये हैं।

सन्दर्भित प्रकरण में रिट याचिका सं० 36666/2013 मा० उच्च न्यायालय के आदेश कियात्मक अंश में दिनांक 13.12.13 में पुनः प्रकरण मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने का उल्लेख है जिसके कम में विचारार्थ प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। सुलभ सन्दर्भ हेतु रिट याचिका सं० 36666/2013 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.13 की प्रति संलग्न है।

..... नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में 03 सदस्यी समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें श्री सत्येन्द्र मिश्र, हाजी सुहेल अहमद एवं श्री अशोक चन्द्र तिवारी सदस्य होंगे, जो नगर आयुक्त द्वारा आहूत बैठक में प्रतिभाग करेंगे तथा तद्दनुसार अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्ताव संख्या-1271

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित उद्यान विभाग (जोन-4, 5 व 6)

क०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम
1	जोन-5 वार्ड 98 दर्शनपुरवा के अन्तर्गत कौशलपुरी में स्थित हनुमान पार्क की दीवार का सुधार कार्य	2305101	11,22,791.00	11,21,669.00	0.10 प्रतिशत निम्न	मैसर्स तिरुपति ट्रेडर्स
2	जोन-4 वार्ड 43 मोतीझील के अन्तर्गत ऑफिसर्स कालोनी के बगल में स्थित नर्सरी स्थल पर पार्क की स्थापना का कार्य।	2305101	9,02,913.00	8,98,399.00	0.50 प्रतिशत निम्न	मैसर्स विक्रम इण्टरप्राइजेज
3	जोन-6 के अन्तर्गत नीर-क्षीर चौराहे से सब्जीमण्डी तिराहे तक ग्रीन बेल्ट का सुधार कार्य।	2305101	9,33,348.00	9,24,015.00	1.00 प्रतिशत निम्न	मैसर्स गगन कान्स्ट्रक्शन कम्पनी
4	जोन-5 वार्ड 98 दर्शनपुरवा के अन्तर्गत कौशलपुरी में स्थित हनुमान पार्क के पाथवें का सुधार कार्य।	2305101	9,24,895.00	9,23,970.00	0.10 प्रतिशत निम्न	मैसर्स तिरुपति ट्रेडर्स

5	जोन-4 वार्ड 11 जवाहर नगर के अन्तर्गत गीता पार्क का सुधार कार्य।	2305101	14,84,839.00	14,84,097.00	0.05 प्रतिशत निम्न	मैसर्स एन.एस. ट्रेडर्स
---	---	---------	--------------	--------------	--------------------	------------------------

..... उपरोक्त वर्णित स्थलों से सम्बन्धित प्रस्ताव को पढ़कर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1272

मा० कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा० सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित उद्यान विभाग (जोन-4, 5 व 6)

क०सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम
1	जोन-5 के अन्तर्गत शास्त्री चौक से बर्ग बाई पास तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार कार्य।	2305101	28,06,839.000	28,04,032.00	0.10 प्रतिशत निम्न	मैसर्स यश कान्स्ट्रक्शन कम्पनी
2	जोन-5 इंडस्ट्रियल एरिया के अन्तर्गत डी ब्लाक पनकी में स्थित अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2305101	41,05,336.00	—	—	—

..... उपरोक्त वर्णित स्थलों से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1273

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/131/न.आ./प्रोजेक्ट- सेल / 15-16 दिनांक 20.01.2011 के क्रम में मा. कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

-: प्रस्ताव :-:

कानपुर नगर जाजमऊ स्थित ३६ एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का ५० प्रतिशत नगर निगम देय धनराशि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर कार्यालय के पत्र संख्या: २५/एसी-१/४, दिनांक 05.01.2016 तथा मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा रु 50,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृत दिनांक 20.01.2016 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़कर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1274

कार्यकारिणी हेतु प्रस्ताव

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2013 को सम्पन्न हुई थी। बैठके के प्रस्ताव सं0 251 के अनुपालन में जोन-4 स्थित मोक्षधाम, ऐरवघाट के कर्मकाण्ड से सम्बन्धित दरें निर्धारित की गयी थी। कार्य कारिणी समिति ने राजीव शुक्ला जोनल अधिकारी, श्री महेन्द्र पाण्डेय मा0 पार्षद, को नामित किया गया था। प्रस्ताव सं0 251 के अनुपालन में दरे निर्धारित की जा चुकी थी। नियम व शर्तों में प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् दरों को संशोधित करने पर समिति द्वारा विचार करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। नामित कार्यकारिणी के सदस्यों व पण्डों द्वारा हलफनामें के आधार पर दरे निश्चित की गयी थी। कि प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् दिनांक 22.12.2013 के उपरान्त दिनांक 01.04.2016 से दों के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

संशोधित दरे

22.12.2013 की निर्धारित दरे	01.04.2016 से निर्धारित दरे		
01—आम की लकड़ी रु0 350.00(प्रतिमन 40 किलो)	01—आम की लकड़ी रु0 400.00(प्रतिमन 40 किलो)		
02—(अ)शव का कर्मकाण्ड		02 —(अ) शव का कर्मकाण्ड	
(ब)शव जलाने का कार्य	=रु0400	(ब) शव जलाने का कार्य	=रु0500
(स)सफाई का कार्य	अ+ब+स+द=	(स)सफाई का कार्य	अ+ब+स+द=
(द)फूल चुनने का कार्य	रु0 400.00 प्रतिशव	(द)फूल चुनने का कार्य	रु0 500.00 प्रतिशव

नियम व शर्तों:-

01. प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् दरों के संशोधन पर समिति द्वारा विचार किया जायगा।
02. लकड़ी के टाल पर प्राप्त करायी जाने वाली रसीद पर निर्धारित शुल्क की दरें व पूर्ण विवरण छपा होगा।
03. कर्म—काण्ड कराने वाले पण्डे द्वारा अनियमितता बरतने पर समिति द्वारा दण्डात्मक अथवा जुर्माना कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
04. नागरिकगणों की शिकायत नगर निगम कण्ट्रोल रूम के दूरभाष सं0 0512-2526004, 0512-2526005 पर की जा सकेगी।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जाना है।

..... सिद्धनाथ एवं भगवतदास घाट में भी उपरोक्तानुसार शुल्क लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1275

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या 1288/3/प दिनांक 29.01.2016 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षों की भौति वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :-

1. रु0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत।
2. रु0 1,200.00 से अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2016 तक कोई अवशेष न हो उनको आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 की चालू मॉग पर अप्रैल 2016 से जून 2016 तक तथा इसके पश्चात् छूट की अवधि एक–एक माह, जो अधिकतम 30, नवम्बर 2016 तक होगी, का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1276

श्री मदन लाल (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

हरी गल्ट्स हास्टल के पास वाला चौराहे का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कुवंर बहादुर सिंह के नाम करने की कृपा करे। उक्त कार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति सम्मान होगा। इन्होने देश हित में समाज हित में बहुत से कार्य किये हैं।

..... नामकरण समिति से आख्या प्राप्त की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1277

श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस प्रस्ताव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर कार्यकारिणी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि विगत कुछ माह से अभियन्त्रण विभाग द्वारा विकास के कार्यों को कराये जाने में काफी विलम्ब हो रहा है। सामान्यतः एक कार्य का आगणन बनने व कायदिश जारी होने के बीच में लगभग ०६ माह से ज्यादा का समय लग जाता है। मेरी समझ से कार्यों के विलम्बित होने के प्रमुख कारण निम्न हैं:-

- 1- आगणन की पत्रावलियों को बिना किसी वाजिब कारण के जे.ई.टी. व ए.ई.टी. के पास भेजा जाना, जबकि आगणन भी तकनीकि व्यक्तियों अर्थात् जे.ई.व ए.ई. तथा अधिं अभियंता के द्वारा ही तैयार किया जाता है।
 - 2- एक समान दरों पर निविदा आने के कारण लाटरी के द्वारा कार्यों का आवंटन किया जाता है, निविदा होने व लाटरी की प्रक्रिया होने के बीच में लगभग एक माह से ज्यादा समय लग रहा है।
 - 3- निविदा हो जाने के बाद निविदा स्वीकृति हेतु अलग से निविदा कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में भी निविदा पत्रावलियों की स्वीकृति में भी काफी ज्यादा समय लगता है।
- आगणन बनने व कायदिश जारी होने के बीच में इतना ज्यासदा समय लगने के कारण कार्य स्थल पर कार्य बढ़ जाता है, जिसके कारण सम्बन्धित ठेकेदार व विभाग के इंजीनियारों को अनावश्यक रूप से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित में कानपुर महानगर में नगर निगम द्वारा विकास के कार्य शीघ्र व समय से हो, इस हेतु कार्यकारिणी के समक्ष इस प्रस्ताव के माध्यम सेमरे सुझाव निम्न प्रकार से है:-

- 1- आगणित पत्रावलियों को जे.ई.टी. व ए.ई.टी. के पास न भेजा जाये।
- 2- एक समान दरों की निविदायें आने पर कार्य आवंटन हेतु लाटरी प्रक्रिया निविदा खुलने के तीन दिन के अन्दर कराई जाये।
- 3- निविदा स्वीकृति हेतु पत्रावलियों, निविदा कमेटी के पास न भेजी जाये।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि व्यानुमानों का तकनीकि परीक्षण कराने के पश्चात् कार्यों के शीघ्र निस्पादन हेतु निविदा समिति गठित की गई है, जो सप्ताह में नियत स्थान पर एक साथ बैठकर पत्रावलियों का निस्तारण करेगी।

मा० शमीम आजाद ने कहा कि अभियन्त्रण खण्डों की पत्रावलियों के परीक्षण में मनमानी प्रक्रिया अपनायी जा रही है। बनी हुई सड़क को पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं, जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि इनसे सम्पर्क स्थापित कर इनकी शंका का समाधान किया जाये।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि 15 प्रतिशत से ज्यादा निम्न वाली शर्त को हटाया जाये, जिससे निविदाओं की खुली प्रतिस्पर्धा हो सके और नगर निगम को भी लाभ प्राप्त हो, क्योंकि किसी-किसी ठेकेदार के पास 08-10 कार्य है और किसी के पास एक भी कार्य नहीं है। कार्यों में 15 प्रतिशत की बाध्यता के कारण लाटरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो एक माह तक सम्पादित नहीं होती है, परिणाम स्वरूप कार्य विलम्बित होते हैं।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार निविदा समिति के लिये तिथि व समय निर्धारित कर लिया जायेगा और तदनुसार पत्रावलियाँ निस्तारित की जायेंगी। तकनीकि सेल द्वारा लोक निर्माण विभाग की सेड्यूल दरों के अनुसार दरों की चेकिंग की जाती है, जिससे किसी प्रकार की भिन्नता न हो। अतः तकनीकि सेल अपरिहार्य है। ऐसी प्रक्रिया अन्य विभागों में भी अपनाई जा रही है। कार्य की गुणवत्त एवं मानक यथावत् रखने के लिये 15 प्रतिशत से ज्यादा निम्न वाली निविदायें स्वतः निरस्त मानी जायेंगी, इसके सम्बन्ध में भी नगर आयुक्त महोदय से चर्चा हो चुकी है।

..... कार्यहित में समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर पत्रावलियों का शीघ्र निस्पादन कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1278

श्री कैलाश पाण्डेय (पार्षद/सदस्य कार्यो) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस प्रस्ताव के माध्यम से मा० कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नगर निगम में विकास कार्यों हेतु विभिन्न मदों में केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा धन उपलब्ध होता है परन्तु सके साथ ही नगर निगम में गृहकर आदि माध्यमों से धन आता है जो नगर निगम निधि कहलाता है। मेरा प्रस्ताव है कि नगर निगम निधि में पिछले कई वर्षों से देखने में आया है कि मा० महापौर एवं मा० पार्षदों के दिये गये प्रस्तावों में चाहे वह अभियंत्रण विभाग हो या मार्ग प्रकाश हो या उद्यान विभाग का कार्य हो मा० महापौर जी के आदेश एवं मा० पार्षदों के प्रस्ताव पर ही कार्य कराया जाये। वर्तमान समय में आया है कि मा० पार्षदों के प्रस्ताव को रोक कर उच्च सदन के माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालकर उनके द्वारा दिये ये प्रस्तावों में कार्य कर रहे हैं जबकि नगर निगम निधि परन्तु मा० महापौर एवं मा० पार्षदों के अलावा किसी और के हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिये नहीं कि उच्च सदन के अलावा किसी और के हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिये नहीं कि उच्च सदन के मा० जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु शासन द्वारा विकास कार्य हेतु विधि उपलब्ध करायी जाती है।

अतः महापौर जी मेरे प्रस्ताव को मा० कार्यकारिणी से स्वीकृति प्रदान कर नगर निगम की निधि में हस्तक्षेप करने में प्रतिबन्धित करने का कष्ट करें।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि कई स्थलों पर पथरों में विधायकों के प्रतिनिधियों के नाम अंकित कराये गये हैं, जो आपत्तिजनक हैं।

सभापति ने कहा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सदन की बैठकों में विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है कि पदेन सदस्य (संसद सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद् सदस्य) की भूमिका यह होती है कि नगर निगम में कर्मचारियों के पदों की संरचना के अनुकूल स्थापना एवं अन्य वित्तीय प्रकरणों को समय-समय पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, न कि अपने प्रभाव/दबाव का प्रयोग करते हुये निर्वाचित पार्षदों के हक का हनन करें। चूँकि विकास कार्य कराये जाने हेतु मा० सांसदों को सांसद निधि एवं मा० विधायकों को विधायक निधि का प्राविधान पूर्व से है, परन्तु पार्षदों की कोई निधि नहीं होती है, नगर निगम अपने संसाधनों से प्रत्येक वार्ड में विकास कराये जाने हेतु पार्षदों से प्रस्ताव/सुझाव आमंत्रित करता है। मैं तीन बार सांसद रह चुका हूँ, परन्तु नगर निगम से एक भी कार्य कराने के लिये पत्र नहीं दिया।

..... वैधानिकता के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1279

श्री कैलाश पाण्डेय (पार्षद/सदस्य कार्यो) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस प्रस्ताव के माध्यम से मा० कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा जो मा० पार्षदों के प्रस्ताव पर जो विकास कार्य कराये जा रहे हैं वह विलम्ब से हो रहे हैं। मा० पार्षदों के विकास कार्यों के प्रस्ताव बहुत छोटे होते हैं। वर्तमान में नगर निगम द्वारा जो निविदा करायी जा रही है काफी विलम्ब हो रहा है। विलम्ब होने के कारण कार्य तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है इस सदन का एक वर्ष शेष है। विकास कार्य तेजी से होने चाहिये क्योंकि आचार संहिता कई बार लगनी है इसलिये विकास कार्य अवरोधित न हो।

अतः मेरा यह सुझाव मा० कार्यकारिणी के समक्ष है कि अन्य नगर निगमों की तरह ८ लाख के नीचे के विकास कार्य मैनुअल प्रक्रिया द्वारा करायी जाये जिससे विकास तेजी से हो सके।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पारदर्शिता के दृष्टिगत ई-टेंडरिंग लागू की गई है, इससे समय की बचत के साथ-साथ क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास कार्य सम्पन्न हो सकेंगे। अन्य नगर निगमों में भी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया लागू है।

..... कार्यहित एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत रु० 1,00,000/- (रुपया एक लाख) की धनराशि से अधिक के कार्यों की निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से ही सम्पन्न की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1280

श्री कैलाश पाण्डेय (पार्षद/सदस्य कार्य०) द्वारा प्रस्तुतएवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

शासन की मंशानुसार शहरों की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने के लिये एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग संवर्ग की स्थापना की गयी थी। इसके लिये पूर्व से ही रहे नगर विकास में कार्यरत अभियंताओं से आवेदन प्राप्त कर उनका कैडर बदल कर ट्रैफिक इंजीनियरिंग संवर्ग में पद स्थापना की गयी। जिसके कारण तमाम कनिष्ठ अभियंता पदोन्नति पाकर कम समय में ही सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता बन गये। यदि वह अपने मूल कैडर में रहते तो शायद अपनी सेवानिवृत्त के आस-पास पदोन्नति पाते। कानपुर नगर निगम में शासन द्वारा कानपुर नगर निगम की यातायात व्यवस्था को दृष्टिगति रखते हुये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के संवर्ग के अभियंताओं को पोस्टिंग की गयी थी। परन्तु शहर का दुर्भाग्य देखिये कि वह अभियंता अपना मूल आवंटित कार्य न कर अपनी शासन-प्रशासन में पैठ होने के कारण एवं आर्थिक स्वार्थ साधने के दिन -प्रतिदिन विगड़ती जा रही है पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्या नगर आयुक्त जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन परिस्थितियों में किन दबाव में अथवा किन आर्थिक स्वार्थों में शासनादेश की अनदेख्यानी की जा रही है। एवं कानुपर शहर वासियों को खराब यातायात व्यवस्था दर्द झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार के चालाक अभियंता दोहरा लाभ उठाते हुये पदोन्नति एवं सिविल कार्यों ठेकेदारों से कमीशन खोरी करते हैं।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व से ही अभियन्त्रण खण्डों में अभियन्ताओं की कमी है, कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु अभियन्ताओं को पदस्थ किया जाता है।

..... कार्यहित में नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1281

श्री धर्मनाथ मिश्रा (पार्षद) द्वारा प्रस्तुतएवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नागरिकों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित बरातशाला निर्माण हेतु।

आवगत कराना है कि नागरिकों का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्व०काला बच्चा द्वारा बनवाये गये एक शुलभ शौचालय जो डबल स्टोरी के खटिकानरा में स्थित है वहाँ निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शुलभ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। नागरिकों का कहना है कि उक्त शुलभ को बरातशाला में परिवर्तित कर दिया जाये जिससे मलिन बस्ती के गरीबों की लड़की-लड़के की शादी में काम आये।

अतः अनुरोध है कि जनहित में एक बरातशाला बहुत जरूरी है, जिसे आप बनवाने की कृपा करें।

..... स्थलीय निरीक्षण करते हुये उपयुक्तता के दृष्टिगत निर्माण कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1282 श्री धर्मनाथ मिश्रा (पार्षद) द्वारा प्रस्तुतएवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- वार्ड 75 मुन्शीपुरवा के अन्तर्गत स्थित स्व० राज किशोर त्रिपाठी बारातशाला नगरनिगम के रख रखाव हेतु।

पत्र के द्वारा आपको अवगत करीना चाहता हूँ कि वार्ड ७५ मुर्शी पुरवा स्थिति स्व० राज किशोर त्रिपाठी बारातशाला का स्वामित्व नगर निगम का है जिसका आवंटन सम्पत्ति विभाग नगर निगम द्वारा किया जाता है। उक्त बारातशाला रख रखाव के अभाव के कारण जहां पर कुछ अराजकत्व तथा छोटे छोटे बच्चे दीवार फांद कर क्षतिग्रस्त करते हैं मना करने पर भी नहीं मानते। उक्त कारण कभी भी बारातशाला क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे नगर निगम राजस्व की हानि होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बारातशाला को केवल रखरखाव हेतु किशोर सामाजिक संस्थान को दे दिया जाये जिससे बारातशाला की सफाई व देखरेख हो सके तथा बुकिंग पूर्व की भाति नगर निगम सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जाये।

..... प्रश्नगत स्थल की दीवार की मरम्मत कराई जाये परन्तु रख-रखाव नगर निगम द्वारा ही किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1283 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, व ०६ मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- स्वास्थ्य विभाग में केमिस्ट के रिक्त पड़े पद पर जब तक शासन द्वारा कोई नियुक्ति न हो जाये तबतक सेव निवृत्त केमिस्ट श्री प्रकाश श्रीवास्तव को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग में केमिस्ट श्री प्रकाश श्रीवास्तव के अक्टूबर 2015 में सेवानिवृत्ति के उपरान्त पानी की जॉच का कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि नगर में जल जनित रोग बुरी तरह से फैल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनमानस को गुणवत्तापूरक जल आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे इसलिये किसी केमिस्ट की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है।

अतः माननीय कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे ससादर अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किसी अन्य केमिस्ट की नियुक्ति तक श्री प्रकाश श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त केमिस्ट) को ही आउट सोर्सिंग के माध्यम कार्य पर रख लिया जाये। जनहित में अति आवश्यक है।

..... निरस्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या-1284 श्री हाजी सुहेलअहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, व ०६ मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- जोन १ वार्ड ९९ के अन्तर्गत पड़ने वाली जर्जर डिस्पेन्सरी सीसामऊ को गिराकर उक्त स्थल पर” व्यवसायिक प्रतिष्ठान या बारातशाला ” का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन-1 वार्ड 99 के अन्तर्गत सीसामऊ चौराहे पर स्थित नगर निगम की डिस्पेन्सरी की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। उक्त भवन बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण होने के साथ साथ गिराऊ हालत में है किसी भी समय गिर सकता है जिसके कारण कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। यदि उक्त भवन को गिराकर उसके स्थान पर कोई ”व्यवसायिक प्रतिष्ठान या बारातशाला” का निर्माण करा दिया जाये तो निःसन्देह नगर निगम की उक्त भूमि भू माफियाओं से सुरक्षित भी रहेगी तथा नगर निगम को भारी लाभ भी होगा।

अतः माननीय कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित में उक्त जर्जर व जीर्ण-शीर्ण डिस्पेन्सरी को गिराकर उक्त स्थल पर कोई ”व्यवसायिक प्रतिष्ठान (दुकाने इत्यादि) या बारातशाला” का निर्माण किये जाने का आदेश पारित करे। जनहित में नगर निगम हित में अति आवश्यक है।

..... मुख्य अभियन्ता को प्रश्नगत स्थल का स्वयं निरीक्षण कर आख्या देने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-1285 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, व 05 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- बॉसमण्डी होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी से दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्त डा० साबिर अहमद होम्योपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

नगर निगम कानपुर द्वारा संचालित बॉसमण्डी होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी से दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्त डा० साबिर अहमद होम्योपैथिक चिकित्सक (दैनिक वेतन भोगी) की नियुक्ति मा० कार्यकारिणी समिति के माध्यम से करने की कृपा करे।

उक्त चिकित्सक के सेवानिवृत्त के पश्चात मरीजों को काफी असुविधा हो रही है।

..... नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1286 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, व 06 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- जोन-1 वार्ड 104 के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क ”रूपम टाकीज से लेकर बाबा स्वीट चौराहे” तक का नामकरण मेरे स्वर्गीय पिता ”हाजी अमानुल्लाह” के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन-1 वार्ड 104 के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क ”रूपम टाकीज से लेकर बाबा स्वीट चौराहे तक की सड़क का नामरकण मेरे स्वर्गीय पिता समाजसेवी ”हाजी अमानुल्लाह” के नाम कर दिया जाये।

मेरे स्वर्गीय पिता समाजसेवा के लिये हमेशा तत्पर रहते थे। निर्धन छात्रों की पढ़ाई, समाज की गरीब लड़कियों की शादियों कराना तथा समाज की विधवा महिलाओं को राशन व सिलाई मशीनों का वितरण किया करते थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से समाज के लोगों को भारी दुखः पहुंचा है।

अतः मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त सड़क का नामकरण ”स्व० हाजी अमानुल्लाह मार्ग” कर दिया जाये।

..... यदि मार्ग का पूर्व से कोई प्रचलित नाम न हो तो प्रस्तावित नामकरण ”हाजी अमानुल्लाह मार्ग” कर दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1287 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप सभापति/नेता पार्षद दल) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- कानपुर नगर निगम की रिक्त व निष्प्रयोज्य भूमि को भूमाफिया व अवैध कब्जेदारों से बचाने हेतु किराये पर उठाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर में अनेकों स्थान व वार्डों में नगर निगम की खुली व रिक्त तथा निष्प्रयोज्य भूमि पड़ी हुई है। जिस पर भू-माफियाओं व अवैध कब्जेदारों ने या तो कब्जा कर रखा है या कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर आम जनता व पार्षद बन्धुओं के द्वारा नगर निगम को अवगत भी कराया जाता रहा है किन्तु नगर निगम के अधिकारियों (कुछेक) व कर्मचारियोंकी मिली भगत से आज तक कब्जेदारों का कुछ भी नहीं हो सका। यहाँ तक की इन अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मा० पार्षदोंको प्लाट दिये जाने के प्रस्ताव संख्या 141 दिनांक 21-03-2013 एवं प्रस्ताव संख्या-253 दिनांक 25-10-13 को भी पूर्णरूप से नजर अंदाज कर दिया गया है जो कि मा० कार्यकारिणी व मा० सदन के निर्णय की खुली अवहेलना है। वही उक्त प्रस्तावों पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाहीनहीं की गई जिससे इनकी दूषित मानसिकता का पता चलता है। नगर निगम की निष्प्रयोज्य सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये कोई सख्त नीति निर्धारित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मा० कार्यकारिणी के समक्षआपसे सादर अनुरोध है कि नगर निगम हित में कानपुर नगर निगम के अनेकों वार्डों में रिक्त व निष्प्रयोज्य भूमि को कब्जे से बचाये जाने हेतु नीति का बनाया जाना अति आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जो से बचाये जाने हेतु किराये पर उठा दिया जाना उचित रहेगा ताकि भूमि भी सुरक्षित रहे तथा नगर निगम की आय भी बढ़ सके।

अपर नगर आयुक्त द्वितीय ने कहा कि वार्ड-38 के मा० पार्षद ने ही अपने वार्ड में नगर निगम की रिक्त व निष्प्रयोज्य भूमि की सूची उपलब्ध कराई है। अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने-अपने वार्ड स्थित नगर निगम की रिक्त व निष्प्रयोज्य भूमि की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे तदनुसार नीति का निर्धारण किया जा सके।

..... उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के तहत कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1288 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (पार्षद/सदस्य कार्य०) द्वारा प्रस्तुत, व 01 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

नगर निगम के समस्त अभियंत्रण खण्डों में लिपिक पिछले कई वर्षों से एक ही खण्ड में जमे हुये हैं। टेण्डरों में हेरा-फेरी करवाते हैं और टेकेदरों से मनमानी रकम कमीशन के रूप में लेते हैं। इनका स्थानान्तरण होने के बाद भी ये लोग सिफारिस लगवाते हुये वापस अपनी जगह आ जाते हैं।

अतः कृपया पिछले कई वर्षों से एक ही अभियंत्रण खण्ड में कार्यरत (जमे) लिपिकों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। कार्यकारिणी के निर्णय के बाद तत्काल इस पर कार्यवाही हों।

..... जिन लिपिकों की शिकायतें प्राप्त हो रही हो उनका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या-1289 श्री अतुल त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस पत्र द्वारा आपके माध्यम से मा० कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि स्व० जगेन्द्र स्वरूप जी (पूर्व एम.एल.सी.) इस शहर में ३५ वर्षों तक जनता के चुने हुये प्रतिनिधि के रूप में मा० विधान परिषद एवं नगर निगम सदन के पदेन सदस्य रहे हैं। मा० जगेन्द्र स्वरूप जी की सेवायें समाज में एक मिसाल के रूप में हैं तथा उनका जीवन एवं सादगी भरा स्वभाव आने वाली पीढ़ियों के लिये अनुकरणीय रहे हैं।

मेरा प्रस्ताव है कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में मुख्य द्वार मा० जगेन्द्र स्वरूप जी के नाम पर कर दिया जाये जिससे भविष्य में नई पीढ़ी इनको अपने दिलों में याद रख सके तथा इनका चरित्र अपने जीवन में उतार सके।

..... प्रश्नगत स्थल पूर्व से ही परिवार के नाम से प्रचलित है अतः प्रस्तावित नामकरण किया जाना समीचीन नहीं होगा।

प्रस्ताव संख्या-1290 श्री अतुल त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

इस पत्र द्वारा आपके माध्यम से मा० कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि गीता पार्क कम्प्युनिटी हाल बारातशाला अधिकाशं रूप से निम्न वर्ग के लोग इस्तेमाल कर अपने मांगलिक कार्यक्रम सम्पादित करते हैं। आपके द्वारा उपरोक्त बारातशाला का सुन्दरीकरण कराया गया है। सुन्दरीकरण को ध्यान में रखते हुये इस बारातशाला का किराया बढ़ाया जाना भी तय है जिससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

मेरा प्रस्ताव है कि उपरोक्त बारातशाला में किराया पांच गुने से ज्यादा न बढ़ाया जाये, सिक्योरिटी मनी दो गुनी कर दी जाये तथा सफाई की व्यवस्था बारातशाला जो आवंटित कराये उसी की जिम्मेदारी पर दे देनी चाहिये क्योंकि बारातशाला में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। बाकी शर्तें यथावत कर दी जायें।

..... प्रश्नगत बारातशाला का शुल्क रु० 2500/- निर्धारित करते हुये शेष शर्तें यथावत् रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1291 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, व 13 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- नगर आयुक्त जी के पूर्व अर्दली राजेश शुक्ला का कार्य समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि नगर आयुक्त जी के अर्दली राजेश शुक्ला 25 वर्ष से नगर निगम में कार्यरत थे गत 31 दिसम्बर, 20215 को रिटायर हो गये। नगर निगम में अर्दली पद पर दूसरा कोई भी अनुभवी व्यक्ति कार्यरत नहीं है ये बहुत अनुभवी ईमानदार व मेहनती व्यक्ति होने के कारण २६ जनवरी 1993 को इनको सदन में सम्मानित किया गया था।

अतः आपसे निवेदन है कि इनके कार्य को देखते हुये जबतक शासन द्वारा किसी की नियुक्ति अर्दली पद पर नहीं होती तब तक इनको अर्दली पद पर रखने की संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।

..... नगर आयुक्त कार्यहित में कार्यवाही करायें।

प्रस्ताव संख्या-1292 श्री पंकज सचान (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, व ०१ माह पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जोन-३ वार्ड ८३ के अन्तर्गत गड़रियन पुरवा गेंव मे बारातशाला निर्माण हेतु।

सादर निवेदन सहित अवगत कराना है कि वार्ड ८३ मे बारातशाला न होने से जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ता है। गेंव होने की वजह जनता के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाता तो बहन, बेटीके विवाह के लिये बारातशाला घर का निर्माण कराने की कृपा करे।
..... निरीक्षण कर आख्या दी जाये।

प्रस्ताव संख्या-1293 श्री पंकज सचान (पार्षद) द्वारा प्रस्तुतएवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जोन-३ वार्ड ८३ के अन्तर्गत दमोदर नगर में जे०एन०पी०एन० इण्टर कालेज के सामने स्थित पार्क को मेरी माता जी स्व० कुन्ती देवी सचान के नाम करने के सम्बन्ध में।

निवेदन सहित अवगत कराना है कि दमोदर नगर स्थित जे०एन०पी०एन०० इण्टर कालेज के सामन पार्क को मेरी माता जी स्व० कुन्ती देवी सचान के नाम करने की कृपा करे। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय एवं वरिष्ठ नागरिकों की मांग पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यवाही/नामकरण हेतु सादर प्रेषित है।

..... प्रस्तावित नामकरण के सम्बन्ध में उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1294 श्रीमती मधु यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, व ०८ माह पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं माह महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- शहीद आलोक साहू द्वार के निर्माण के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि हम विगत कई बार शहीद आलोक साहू द्वार का प्रस्ताव कार्यकारिणी के माध्यम से लगाया परन्तु उक्त प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई जो शहीदों का अपमान प्रतीत होता है। माननीय आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर चर्चा कर शहीद के सम्मान में आलोक साहू द्वार के निर्माण का प्रस्ताव पारित करें।

..... किसी अन्य उपयुक्त स्थान को चयनित कर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1295 श्री जितेन्द्र सचान (सदस्य कार्यकारिणी/पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

जोन-3 सरदार पटेल विद्यालय के सामने स्थिति पार्क का नामकरण देश की छोटी बनी 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखण्ड भारत का निर्माण करने वाले महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नाम सरदार पटेल उद्यान के नाम - नामकरण करने की कृपा करें।

..... विद्यालय प्रबन्धन से पार्क को विकसित करने के आग्रह के साथ नामकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1296 श्री जितेन्द्र सचान (सदस्य कार्यकारिणी/पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

आपका ध्यान वार्ड 80 के अन्तर्गत विश्व बैंक कालोनी बर्ग की ओर ले जाना चाहत हूँ जहाँ पर अभी तक सीवर समस्या के चलते स्थानी लोग सीवर सुविधा का लाभ पिछले 19 वर्षों से नहीं ले पा रहे थे तथा लोगों का जीवन नरकीय बना हुआ था।

वर्तमान समय काठविंप्रा० द्वारा वित्तीय 2015-16 में नई सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया है किन्तु विभाग द्वारा लगातार सीवर कर के बिल भेज जा रहे हैं जो न्यायिक व मानवीय दृश्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि सीवर कर का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2015-16 से करने की कृपा करें।

..... पार्षद के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1297 श्री संजीव कुमार, सफाई एंव खद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग कानपुर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत, एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

सादर निवेदर है कि प्रार्थी संजीव कुमार सफाई एंव खद्य निरीक्षक के पद पर स्वास्थ्य विभाग नगर निगम, कानपुर में कार्यरत हूँ तथा केमिस्ट के पद की समस्त अर्हतायें रखता हूँ। सादर अवगत कराना है कि नगर निगम में श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव एकमात्र केमिस्ट थे, जो कि दिनांक-31-10-2015 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके बाद से किसी अन्य को पदस्थ न किये जाने के कारण यह पद रिक्त चल रहा है। केमिस्ट का पद रिक्त होने के कारण पानी आदि की जौच का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः कृपया उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये जब तक शासन से कोई केमिस्ट पदस्थ नहीं किया जाता है तब तक मुझे मेरे कार्यों के साथ-साथ केमिस्ट के पद का अतिरिक्त कार्य दिये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेश प्रदान करने की कृपा करें, इस कार्य हेतु मैं किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते आदि की मांग नहीं करूँगा।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1298 श्री राकेश साहू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत, व 15 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- वार्ड 72 में सचिन तेन्दुलकर द्वार से सर्वधर्म चौराहे तक मार्ग का नाम स्व० गणेश त्रिपाठी जी किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि वार्ड 72 में स्व० गणेश त्रिपाठी जी नगर के प्रतिष्ठित समाजवादी व स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेकर स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन न लेने वाले देशभक्त व श्रमिक नेता थे। अतः आपसे निवेदन है कि सचिन तेन्दुलकर द्वार से सर्वधर्म चौराहे तक नाम समाजवादी श्रमिक नेता स्व० गणेश त्रिपाठी के नाम किये जाने की कृपा करे।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति को सदस्यों द्वारा निम्नवत् प्रस्ताव हस्तगत किये गये, सभापति ने प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिये निर्देशित किया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1299

श्री आदित्य शुक्ला द्वारा प्रस्तुत एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

माननीय पार्षदगणों के द्वारा समाज में समाज सेवा के रूप में काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है तथा उसमें धन का व्यय भी काफी बड़ी मात्रा में आता है। पूर्व सदन 2006 के कार्यकाल के मध्य 2008 में सदन में माननीय पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें तत्कालीन महापौर के द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि शासन से इस पर दिशा निर्देश ले लिया जाये, शासन के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में नगर निगम, कानपुर को निर्देशित किया गया था कि अपने संसाधनों से पाँच हजार रुपया प्रति माह भत्ता दिये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः सम्मानित कार्यकारिणी से अनुरोध है कि उपरोक्त मेरे प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

..... शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यवाही की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1300 श्री नवीन पण्डित द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

आपको अवगत कराना है कि स्व. बाबूराम पाण्डेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और कोतवाली बमकांड के अभियुक्त रहे हैं। अंग्रेजों ने 17 माह कारागार में बन्द रखा। बर्ग-5 तिकुनिया पार्क पूर्व केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कोयला मंत्रालय से पार्क का निर्माण करा दिया था और

स्व. बाबूराम पाण्डेय के यादगार में यह पार्क बनाया गया है। मेरा कार्यकारिणी से व महापौर जी से कि उक्त पार्क का स्व. बाबूराम पाण्डेय वाटिका कर दिया जाये।

सभापति ने कहा कि मालियों की कमी एवं नई नियुक्तियाँ न होने के कारण यदा-कदा पार्कों में रख-रखाव की समस्यायें आ रही हैं। पार्कों के रख-रखाव हेतु नगर निगम अपने नियम एवं शर्तों के अनुसार समितियों को गोद देती है। यदि संस्था नियम एवं शर्त का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाये साथ ही क्षेत्रीय पार्षद के प्रति अगर संस्था कोई असहयोग करती है तो पार्षद की शिकायत पर उसका भी समाधान कराया जाये।

..... नामकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेब्ल प्रस्ताव संख्या-1301 हाजी मो० शमीम आजाद द्वारा प्रस्तुत एवं हाजी सुहेल अहमद द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

अपकों अवगत कराना है कि फाइल नं० D/55/AA2/15-16 चकेरी रोड से मदीना मस्जिद तक की सड़क नगर निगम द्वारा 13923596.00 रु० की लागत से बनायी जा रही है, लेकिन अधिशाषी अभियन्ता जोन-2 के द्वारा वहाँ रोड पर चार पत्थर लगाये गये हैं, जिसमें महापौर जी या पार्षद का नाम नहीं अंकित है। हमने सदन में भी यह आवाज से आपको अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

..... प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये मा० सदन/कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाये।

टेब्ल प्रस्ताव संख्या-1302 श्री मनोज सेंगर संस्था प्रमुख युग दधीचि देहदान अभियान, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

जैसा कि विदित है कि युग दधीचि देहदान संस्थान द्वारा मेडिकल रिसर्च हेतु देहदान एवं लोगों की अंधेरी दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिये नेत्रदान अभियान काफी अर्से से चलाया हुआ है। चूँकि संस्था द्वारा सामाजिक सरोकारों से लोगों को जोड़ने का अभियान नित नये मुकाम हासिल कर रहा है अतएव अब हम पर्यावरण संरक्षण के लिये जागृति लाने वाला नया कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना निरूपित कर रहे हैं। यह हिन्दू समाज में अपने दिवंगत प्रियजनों का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में करने के लिये प्रेरित करेगा।

यह वक्त की माँग है कि वायु एवम् जल प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिये शवों का अन्तिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में किया जाये। हम लोगों को समझायेंगे कि यह किस तरह शास्त्र सम्मत भी है।

अतएव एतद्वारा हम अनुरोध करते हैं कि कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी तथा सदन में यह प्रस्ताव पारित कराया जाये कि कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्युत शवदाह गृहों के इस्तेमाल के लिये पार्षदगण हमारे एनजीओ को अपने अपने वार्ड में सहयोग करेंगे तथा इस हेतु नगर निगम सीमा में लगाये जाने वाली प्रचार सामग्री करमुक्त रहेगी।

कृपया हमारे अनुरोध को प्रस्ताव के रूप में पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें।

..... प्रस्ताव संख्या 1249 में निर्णय लिया जा चुका है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1303 श्री अरूण पाठक, विधायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

नगर निगम मुख्यालय के बांडी ओर स्थित पार्क को मैं अपनी निधि द्वारा अत्याधुनिक पार्क (Wi-Fi Zone) के रूप में विकसित करना चाहता हूँ। पार्क को विकसित करने में जो भी व्यय आयेगा उसे मैं अपनी निधि से कराऊँगा, जिसकी कार्यदायी संस्था नगर निगम ही होगी।

अतः नगर निगम मुख्यालय के बांडी ओर स्थित पार्क को अत्याधुनिक पार्क के रूप में विकसित करने हेतु मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

..... उपरोक्त की स्वीकृति के साथ भविष्य में प्रश्नगत पार्क की संचालित (Wi-Fi Zone) की व्यवस्था का रख-रखाव नगर निगम द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1304 जोनल अधिकारी जोन-4 द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

कृपया अवगत कराना है कि वार्ड संख्या 11 जवाहर नगर, कानपुर स्थित 107/236 कम्यूनिटी सेन्टर, गीता पार्क का जीर्णोद्धार विभाग द्वारा कराया गया है, जिसमें विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में जनसामान्य का किराये पर आवंटन की कार्यवाही की जानी है। जिलाधिकारी सर्किल दरें 2013 के आधार पर गणना निम्नवत् है :-

1- कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल 224.90 वर्ग मी० X ₹0350 (किराये की दर प्रति वर्ग मी०) = ₹० 78715.00 X माह = ₹० 944580.00/365 दिन
प्रतिदिन किराया ₹० 2588/-

किराये सम्बन्धी अन्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

- 1- जमानत धनराशि ₹० 2000/- जमा करना होगा जो कि टूट फूट न होने की दशा में सम्बन्धित आवंटनकर्ता को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 2- बारातशाला में लगे बिजली उपकरण का शुल्क ₹० 1000/- देय होगा। बिजली की व्यवस्था स्वयं आवंटनकर्ता द्वारा की जायेगी।
- 3- किसी भी प्रकार का धुम्रपान व मदिरा का प्रयोग वर्जित रहेगा।

- 4- साफ सफाई स्वयं आवंटित व्यक्ति के द्वारा कराई जायेगी। नगर निगम द्वारा कराये जाने पर रु० 500/- देय होगा।
- 5- आवंटन दिनांक से सुबह 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक माना जायेगा।
- 6- आवंटन जैसा है जहाँ के आधार पर किया जायेगा।
- 7- सेवाकर 14.5 प्रतिशत की दर से देय होगा या सरकार द्वारा जो भी निर्धारित किया जायेगा। वह अलग से देय होगा।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1305 मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-4 के पत्र सं० 01/नौ-4-16-05ज/11 टी०सी०-१ दिनांक-15 जनवरी, 2016 द्वारा नगर निगम, कानपुर में उत्तर प्रदेश पालिका अभियन्त्रण सेवा (सिविल) के मानकों के पुनर्निर्धारण एवं न्यनतम पदों के सृजन हेतु आख्या चाही गई है।

उपरोक्त पत्र के अनुसार नगर निगम में एक मुख्य अभियन्ता, 02 अधीक्षण अभियन्ता, 07 अधिशासी अभियन्ता, 21 सहायक अभियन्ता एवं 63 अवर अभियन्ता के पद सृजन एवं वित्तीय भार वहन करने हेतु प्रस्ताव माँगा है। अवगत कराना है कि उपरोक्त पदों में से 02 अधीक्षण अभियन्ता एवं 07 सहायक अभियन्ता के नये पद सृजित किये जाने हैं। शेष पद पूर्व से ही स्वीकृत एवं सृजित हैं।

अतः उक्त नये पदों के सृजन एवं व्यय भार वहन करने हेतु विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

..... नगर निगम कार्य प्रणाली में गतिशीलता प्रदान करने हेतु उपरोक्तानुसार उल्लिखित पदों के सृजन एवं व्यय भार वहन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन को तद्दुनुसार पत्र भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1306 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (पार्षद/सदस्य कार्यकारिणी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

कृपया अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त केयर टेकर श्री हसन अशरफ का कार्यकाल 31-03-2016 तक कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत है। श्री हसन अशरफ केयर टेकर जिनका कार्य व्यवहार एवं आचरण सन्तोषजनक है यह काफी मेहनती है।

कृपया दिनांक-01-04-2016 से 31-03-2017 तक एक वर्ष के लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

..... नगर आयुक्त कार्यहित में कार्यवाही करायें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1307 हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- कानपुर नगर निगम की आय बढ़ाने व अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा करने के उद्देश्य से साइकिल मार्केट, शिवाला मार्केट, नटराज सिनेमा, गोविन्द नगर, बर्ग-7, नेहरू नगर तथा लेबर कालोनी, गोविन्द नगर स्थित सैकड़ों दुकानों पर नीति बनाकर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि पूर्व में नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों दुकानों को परमिट पर, किराये पर तथा आवंटन इत्यादि के माध्यम से नगर में आमजनमानस को दी गई थी, जिसका किराया, प्रीमियम नगर निगम में जमा होता रहा है। शासन द्वारा काफी समय पूर्व परमिट व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है, जिन दुकानों को परमिट दिया गया था, वह व्यवस्था समाप्ति के उपरान्त आज भी पूर्ण रूप से काबिज है। चूंकि यह दुकानदार वर्षों पुराने हैं तथा उक्त स्थान पर व्यापार करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। यदि उक्त सम्बन्धित प्रकरण पर कोई नीतिगत निर्णय मात्र कार्यकारिणी द्वारा किया जाये तो निश्चित रूप से नगर निगम को करोड़ों की आय होगी।

अतः माननीय कार्यकारिणी के समक्ष आपसे अनुरोध है कि उक्त सैकड़ों दुकानों के प्रकरण में कोई नीति निर्धारित करके निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। उक्त दुकानदारों को उन्हीं स्थान पर व्यवस्थित कराने के लिये सम्पत्ति विभाग व अपर नगर आयुक्त स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर व्यवस्था व नियम (समयबद्ध) बनाये जाने का आदेश पारित करें। उक्त व्यवस्था के तय होने से नगर निगम की आय में करोड़ों रूपये की वृद्धि होगी।

श्री नवीन पण्डित ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहा कि वर्ष 1990 में नगर निगम द्वारा नटराज टाकीज, सी.टी.आई. के पास दुकानों का पैसा नागरिकों से जमा कराया था, परन्तु आज भी नगर निगम द्वारा न तो दुकानदारों को धन की वापसी की गई और न ही दुकानें दी गईं।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि कई स्थानों पर यथा रैना मार्केट, नवीन मार्केट आदि स्थलों पर नगर निगम द्वारा दुकानें बनाकर आवंटित की गई परन्तु दुकानदारों ने भूमिगत निर्माण कराने तथा फुटपाथों पर कब्जा कर लेने के कारण यातायात में असुविधा के साथ-साथ जन एवं धन हानि की आशंका सदैव बनी रहती है। यह भी सत्य है कि कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनता को नगर निगम द्वारा अस्थाई परमिट जारी करते हुये मालिक मलवा बनाया गया था और उनसे बकायदा परमिट शुल्क पूर्व में वसूला जाता रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के तहत अस्थाई परमिट व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, परिणाम स्वरूप नगर निगम को शुल्क तो नहीं मिल रहा है परन्तु पूर्व परमिटधारक आज भी स्थलों पर काबिज है। इतना ही नहीं उक्त परमिट धारक रु0 10 अथवा रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर दूसरे व्यक्ति को दुकान/प्रतिष्ठान का हस्तान्तरण कर रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि प्रश्नगत पर नीतिगत निर्णय ले लिया जाये, जिससे उक्त काबिज परमिट धारकों से नगर निगम को राजस्व के रूप में धनराशि प्राप्त हो सके।

सभापति ने कहा कि चूंकि शासन द्वारा अस्थाई परमिट व्यवस्था को समाप्त किया गया है, अतः शासन से ही दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये। क्योंकि वर्तमान में परमिट धारक अवैध रूप से रह रहे हैं और उनकों नगर निगम से किसी प्रकार की रसीद दिया जाना वैधानिकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं

होगा तथा रसीदों के माध्यम से कभी भी कोई परमिट धारक नगर निगम के विरुद्ध मां न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है साथ ही नगर निगम की उक्त भूमि से स्वामित्व के प्रति सदैव आशंका बनी रहेगी।

हाजी सुहेल अहमद ने प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष ही साईकिल मार्केट, शिवाला मार्केट के अनेक दुकानदारों का उदाहरण देते हुये कहना चाहता हूँ कि इन दुकानदारों ने तत्समय पूर्व में प्रीमियम की धनराशि भी नगर निगम में जमा की तथा उनके पास अस्थाई परमिट भी है, परन्तु इन परमिट धारकों के प्रति कोई समुचित निर्णय नहीं लिया जा सका है जबकि स्थल पर यह सभी काबिज है, इससे इन परमिट धारकों के प्रति अन्याय हो रहा है और नगर निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। अतः समिति से अनुरोध है कि संदर्भित पर नगर निगम राजस्व हित में कोई नीतिगत निर्णय ले लिया जाये।

श्री कैलाश पाण्डेय ने भी कहा कि नगर निगम सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत निर्णय लिया जाना समीचीन होगा, क्योंकि नगर निगम जोन-2 के अन्तर्गत सीवेज फार्म की लगभग 1806 बीघे जमीन में अभिलेखों में अनियमितता करते हुये लोगों द्वारा बिक्री की जा रही है, जबकि नगर निगम द्वारा इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

श्री रमापत झुनझुनवाला ने कहा कि कलक्टरगंज स्थित गल्ला मण्डी, सुतरखाना, नगर निगम चुंगी आदि कई नगर निगम की जमीनों पर कतिपय लोगों ने या तो कब्जा कर लिया है या कुछ स्थलों पर कब्जा किये जाने की आशंका है।

सभापति ने लीज/पट्टा के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में 999 वर्ष, कुछ समय पश्चात् 99 वर्ष तथा वर्तमान में 30 वर्ष के लिये लीज/पट्टा की समय सीमा निर्धारित है साथ ही शासन-जिला प्रशासन की अनिश्चितता के कारण नगर निगम के पूर्व के स्वामित्व वाली जमीनों से भी नगर निगम को अपना स्वामित्व खोना पड़ा है यथा नवीन मार्केट, मुर्गा मार्केट आदि स्थल है, जहाँ जिला प्रशासन द्वारा नजूल की भूमि घोषित की गई।

अपर नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतिष्ठानों के प्रति नगर में तीन तरह की व्यवस्था प्राविधानित थी 1- प्रीमियम लेकर 90 वर्ष का पट्टा किया जाना, 2- किराया लेकर आवंटन किया जाना तथा 3- अस्थाई परमिट दिया जाना। अस्थाई परमिट धारक अपनी दुकान या प्रतिष्ठान का हस्तान्तरण जो 10 रु० या 100 रु० के स्टाम्प पेपर पर करता है, वह वैधानिक नहीं है। स्थल के परमिट को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय दरों (सर्किल रेट) का 40 प्रतिशत जमा करने के पश्चात ही हस्तान्तरण किया जाना वैधानिक होगा।

..... नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की निष्प्रयोज्य भूमि तथा उपरोक्तानुसार वर्णित नगर निगम की परमिट की भूमि के परीक्षण हेतु एक समिति बनाई जाये, जो स्थलों की सूची संकलित करते हुये 31 मार्च, 2016 के पूर्व निरीक्षण कर अपनी आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1308 नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :—

नगर निगम कानपुर मे वित्तीय वर्ष 2007–08 से भुगतान पूर्व सम्परीक्षा का कार्य अनवरत चल रहा था। सभी प्रकार के भुगतान मुख्य नगर लेखा परीक्षक के परीक्षण के उपरान्त ही किये जा रहे थे।

परन्तु मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा पत्रांक डी/76/मु०न०ल००५०, दिनांक 09.03.2015 के आधार पर लेखा नियमावली के नियम –75 का वर्णन करते हुए उल्लेख किया गया है कि सम्परीक्षा का कार्य भुगतान के पश्चात् किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2007–08 से भुगतान पूर्व सम्परीक्षा कराये जाने के परिणाम सकारात्मक रहे जिसके कारण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग एवं महालेखाकार इलाहाबाद की समय ऐसे गम्भीर प्रकरण समाने नहीं आये, जिसके कारण नगर निगम की छवि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। मुख्य नगर लेखा परीक्षा विभाग नगर निगम की आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत आता है, इसके रहते पूर्व मे ही त्रुटियों का सुधार हो जाने से भविष्य मे होने वाली बाह्य सम्परीक्षाओं (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं महालेखाकार कार्यालय की सम्परीक्षा) मे आपत्तियों की संख्या न्यून हो जाना निश्चित है।

सम्परीक्षा का कार्य भुगतान के पूर्व हो या बाद में, इस सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–4 द्वारा अपने पत्रांक 3825/नौ/4–2011–13लेखा/2011 दिनांक 27.07.2011 के माध्यम से निम्न आदेश पारित किये गये थे—

“नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सृजित लेखा नियमों मे व्यवस्था है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा सभी भुगतानों की लेखा परीक्षा उनके सम्पन्न होते ही किये जाने की **Concurrent Audit** की व्यवस्था है। किन्तु नगर निगम के भिन्न-भिन्न मुख्य नगर लेखा परीक्षकों ने जैसा कि बैठक से सूचित किया है कि कहीं पर उनके द्वारा प्री आडिट किया जाता है तो कहीं पोस्ट आडिट। इससे स्पष्ट है कि नगर नियमों मे **Concurrent Audit** के सम्बन्ध मे एक रूपता नहीं है और मुख्य नगर लेखा परीक्षकों की विशिष्टता का पूरा लाभ भी नहीं लिया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे सभी मुख्य नगर लेखा परीक्षक भुगतानों के प्रकरणों का **Concurrent Audit** सुनिश्चित करेंगे जिसके अन्तर्गत वे अपेक्षा किये जाने पर चेक जारी होने के पूर्व भी अभिलेखों एवं बाउचरों का परीक्षण कर यदि कोई वित्तीय क्षति अथवा अन्य गम्भीर अनियमितता दृष्टिगोचर हो तो उसे नगर आयुक्त के संज्ञान मे लायेंगे।”

इससे स्पष्ट है कि शासन की भी यही मंशा है कि यदि भुगतान से पूर्व सम्परीक्षा कर ली जाये तो नगर नियमों मे वित्तीय क्षति या गम्भीर अनियमितता की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी।

इस सम्बन्ध मे नगर आयुक्त के पत्रांक डी/487/सी०ए०३०/14–15, दिनांक 21.03.2015 के द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को पूर्व सम्परीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये गये थे। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय कार्यकारिणी द्वारा “मुख्य नगर लेखा परीक्षक को भुगतान पूर्व सम्परीक्षा” किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित कराने का कष्ट करें।

..... कार्य के भुगतान स्वीकृत होने के पूर्व ही पत्रावली की पूर्व सम्परीक्षा किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति ने नगर आयुक्त को अवगत कराया कि पूर्व में मोतीझील परिसर स्थित कारगिल पार्क में स्वामी विवेकानन्द की भव्य प्रतिमा लगाये जाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था, स्वामी विवेकानन्द के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना मेरा मात्र उद्देश्य था। दक्षिण में कन्या कुमारी स्थित स्वामी विवेकानन्द रॉक की भाँति प्रतिमा स्थापित करने एवं फव्वारों द्वारा सुसज्जित करने की मेरी व्यक्तिगत सोच थी। प्रकरण को अनावश्यक तूल दिया गया, माझे न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुये उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया, जबकि प्रतिमा स्थापन से न तो पार्क की सुन्दरता नष्ट होगी और न ही यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा। पूर्व पारित प्रस्ताव के प्रति पुनः कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत

कराना चाहता हूँ कि तत्समय स्वीकृत प्रस्ताव पर आप सभी की क्या मंशा है। जिस पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से युद्ध गति से कारगित पार्क में स्वामी विवेकानन्द की भव्य प्रतिमा स्थापित करते हुये स्वनिल योजना को क्रिया रूप में पर्णित करने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की गई।

सभापति ने कार्यसूची में अंकित बिन्दु संख्या-2 के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-147 के प्राविधानों के तहत पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये। तदनुसार नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को पटल पर वित्तीय वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने समिति के सदस्यों को पुनरीक्षित बजट की प्रतियाँ वितरित करते हुये निम्नवत् पटल पर प्रस्तुत किया :-

प्रस्ताव संख्या:-1309

पुनरीक्षित बजट
वर्ष 2015-16
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2014-15 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16	वास्तविक आय अगस्त 2015 तक	पुनरीक्षित 2015-16
	Revenue Income		राजस्व आय				
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	12503.66	13010.50	3029.00	13101.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	1.77	2.00	0.08	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	146.29	123.50	33.24	128.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	754.11	1083.00	266.96	1109.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	99.09	133.00	9.23	133.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	36.43	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	1644.46	607.00	375.16	907.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	80.14	87.10	37.69	92.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	42811.16	42753.00	7511.42	30628.00
	TOTAL-(A)		योग (अ)	58077.10	57941.10	11262.78	46152.60
	Capital Income		पूँजीगत आय				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ				
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	1999.58	5300.00	4355.89	10400.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	11439.61	9050.00	0.00	6550.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	253.48	315.00	0.63	763.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	0.00	106.00	0.00	106.00
	TOTAL-B-		योग (ब)	13692.67	14775.00	4356.52	17823.00

	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	2312.75	6737.41	0.00	6737.41	
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	10915.79	11663.12	0.00	11663.12	
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	0.00	72243.58	0.00	72243.58	
	TOTAL-C-		योग (स)	13228.54	90644.11	0.00	90644.11	
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	84998.31	163360.21	15619.31	154619.71	
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	33141.89	21639.14	47584.60	21639.14	
	Grand Total		महायोग	118140.20	184999.35	63203.90	176258.85	

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2014-15 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16	वास्तविक आय अगस्त 2015 तक	पुनरीक्षित 2015-16
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिकारी व्यय	26001.33	27860.00	12063.72	30030.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	4235.91	2040.00	237.56	2261.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	14934.94	24871.00	9791.86	21781.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	349.77	408.00	0.42	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	446.10	2040.00	387.70	1692.00
	TOTAL-D-		योग (द)	45968.05	57219.00	22481.26	56172.00
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय				
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ				
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	5133.59	6800.00	1792.36	11300.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	5075.10	11500.00	3937.07	10500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	435.57	1266.00	0.00	1364.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	0.00	107.00	0.00	107.00
	TOTAL-E-		योग (य)	10644.26	19677.00	5729.43	23275.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)				
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	0.00	6737.41	0.00	6737.41
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	0.00	72243.58	0.00	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	13248.58	11643.12	0.00	11643.12
	TOTAL-F-		योग (र)	13248.58	90624.11	0.00	90624.11
	Total Revenue, Capital & Reserve		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	69860.89	167520.11	28210.69	170071.11

	Fund Expenses (D+E+F)		(द+य+र)					
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचम्त खाते	-694.72	0.00	2610.16	0.00	
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पौँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	70555.61	167520.11	25600.53	170071.11	
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :-	47584.60	17479.24	37603.37	6187.74	
	Grand Total		महायोग	118140.20	184999.35	63203.90	176258.85	

..... वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित बजट में आय पक्ष में दर्शाई गई धनराशि रु० 154619.71 एवं प्रारम्भिक अवशेष रु० 21639.14 कुल रु० 176258.85 के साथ व्यय पक्ष में दर्शाई गई धनराशि 170071.11 एवं अन्तिम अवशेष रु० 6187.74 कुल रु० 176258.85 को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1310 हाजी सुहेल अहमद, उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- जोन-1,वार्ड 100 के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क का नामकरण प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष “स्व०सईदुल हसन नकवी बाबा जी”के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन-1,वार्ड 100 के अन्तर्गत पड़ने वाली सड़क “नवाब साहब हाता(छोटे फाटक)से रिजर्व बैंक के सामने तक” के नामकरण हेतु प्रस्ताव देकर क्षेत्रीय पार्षद व कांग्रेस पार्षद दल के उपनेता श्री आमोद त्रिपाठी जी के द्वारा माननीय कार्यकारिणी के समक्ष काफी समय पूर्व पत्र देकर अनुरोध किया गया था। उक्त प्रस्ताव को माझ कार्यकारिणी के द्वारा नामकरण समिति को प्रेषित कर दिया गया था। जिसके बाद से उक्त प्रस्ताव का कहीं अता पता नहीं है।

यहाँ पर यह भी बताना अति आवश्यक है कि स्व० श्री सईदुल हसन नकवी जी को मीडिया जगत के लोग “बाबा जी”के नाम से जानते थे। यह दैनिक जागरण के स्थानीय सम्पादक भी थे। बाबा जी सन् 1992 में महामहिम राज्यपाल महोदय के मीडिया एडवाइजर भी थे तथा नगर में इनकी लोकप्रियता व कार्यशैली को देखते हुये समय-समय पर इन्हे “कानपुर रत्न एवार्ड, मानस संगम एवार्ड व समाज वादी एवार्ड” से सम्मानित किया गया था। यह कानपुर प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य भी थे। इनका सम्पूर्ण जीवन सामाजिक कार्यों के साथ-साथ एक जर्नलिस्ट के रूप में इंग्लिश, हिन्दी व उर्दू के समाचार पत्रों व पत्रकारिता की सेवा में व्यतीत हुई थी।

अतः माझ कार्यकारिणी के समक्ष हम समस्त सदस्यों का आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त सड़क “नवाब साहब हाता(छोटे फाटक)से रिजर्व बैंक के सामने तक” की मुख्य सड़क का नाम प्रेस क्लब कानपुर के पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक सदस्य “स्व०सईदुल हसन नकवी बाबा जी” के नाम पर कर दिया जाये। यही स्थान पर इनका निवास स्थान भी था। कृपया इस प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक विचार करके स्वीकृति प्रदान करने का आदेश पारित करें।

..... परीक्षण कर लिया जाये, यदि पूर्व में कोई नामकरण नहीं हुआ है तो स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव सं0 1311 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला द्वारा प्रस्तुत व 02 मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित है, पर विचार करना:—

प्रस्ताव

विषय:— नरेन्द्र मोहन सेतु के नीचे से स्वराज्य आश्रम, आ०टी०.ओ० कार्यालय एवं रीजेन्सी अस्पताल होकर रेव मोती तक जाने वाली सड़क का नामकरण “दैनिक जागरण” के पूर्व प्रधान सम्पादक स्व० नरेन्द्र मोहन जी के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।

दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान सम्पादक “स्व० नरेन्द्र मोहन” देश के जाने माने पत्रकार एवं सांसद थे। सांसद रहते हुये वह कानपुर के विकास के बारे में अपना योगदान समय-समय पर देते रहते थे, चाहे वह संसद में हो अथवा समाचार पत्र में अपने लेख के माध्यम से कानपुर की समस्याओं की आवाज उठाने की बात। “नरेन्द्र मोहन सेतु” का निर्माण कराने में उन्होने अपनी सांसद निधि से सहयोग दिया था, तभी सेतु का निर्माण कार्य पूरा हुआ था तथा इसी सहयोग की भावना को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन उ०प्र० सरकार ने सेतु का नामकरण उनके नाम पर किया था।

“स्व० नरेन्द्र मोहन जी” एक कर्मठ पत्रकार एवं समाजसेवी थे, चूंकि उपरोक्त रोड पर “दैनिक जागरण” समाचार पत्र का कार्यालय स्थित है और यही से ही स्व० नरेन्द्र मोहन जी ने अपनी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत कर कानपुर नगर का गौरव बढ़ाया था, अतः हम सभी की हार्दिक इच्छा है उपरोक्त रोड का नामकरण “स्व० नरेन्द्र मोहन जी” के नाम पर किया जाये।

आशा है कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके उपरोक्त सड़क का नामकरण “स्व० नरेन्द्र मोहन जी” के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान करें।

..... नरेन्द्र मोहन सेतु के नीचे से स्वराज्य आश्रम, आ०टी०.ओ० कार्यालय एवं रीजेन्सी अस्पताल होकर रेव मोती तक जाने वाली सड़क का नामकरण “स्व० नरेन्द्र मोहन मार्ग” किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक-06-02-2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा।

..... सभी सदस्यों ने आज दिनांक-06-02-2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

अन्त में बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह०.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति